भारत निर्माण सेवक इनीसिएटिव

के अर्न्तगत

प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के चयनित 22 एन.आर.एल.एम. एवं अन्य 05 जनपदों में मोबिलाईजेशन प्रक्रिया के अर्न्तगत की गयी

सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण की गतिविधिया

प्रशासनिक प्रतिवेदन

प्रशासनिक प्रतिवेदन

दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ, उ0प्र0।
पिन–226202, दूरभाष: 05212–298292, फैक्स: 05212–298209
E-Mail - sirdup2005@rediffmail.com
Website - sirdup.nic.in

भारत निर्माण सेवक इनीसिएटिव

के अर्न्तगत

प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के चयनित 22 एन.आर.एल.एम. एवं अन्य 05 जनपदों में मोबिलाईजेशन प्रक्रिया के अर्न्तगत की गयी

सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण की गतिविधिया

संरक्षण एवं मार्गनिर्देशन

- श्री एन0एस0 रवि, आई.ए.एस., महानिदेशक संस्थान

संकलन एवं प्रस्तुतीकरण

- डॉ. आ.पी. पाण्डेय, संयुक्त निदेशक
- श्री बरून कुमार आर्य, संकाय सदस्य

अन्य सहयोगीगण

- श्री नवीन चन्द्र अवस्थी, संकाय सदस्य
- डा. राज किशोर, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी
- सुश्री नेहा प्रकाश, संकाय सदस्य

टंकण कार्य

- श्रीमती माला पाण्डेय
- श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा

जन सहभागिता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही केन्द्र
दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ,उ0प्र0।
पिन–226202, दूरभाष: 05212–298292, फैक्स: 05212–298209
E-Mail - sirdup2005@rediffmail.com
Website - sirdup.nic.in

विषय–वस्तु

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	भारत निर्माण सेवक कार्यक्रम की पृष्ठभूमि	1–2
2.	आई.ई.सी. की अवधारणा, उदेद्श्य, महत्व, प्रासंगिकता एवं आवश्यकता	3–16
3.	कार्यक्रम हेतु चयनित जनपद	17–18
4.	आई.ई.सी. कार्यो हेतु राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा की गई पहल एवं क्रिया – कलापों के विवरण	19–26
	(क) विभिन्न बैठकों का आयोजन	
	(ख) विभिन्न पत्रों एवं शासनादेशों का जारी होना	
	(ग) राज्य स्तर पर आयोजित कार्यशालायें/सेमिनार	
	(घ) प्रशिक्षण साहित्य एवं लघु फिल्मों का निर्माण	
	(ड़) विभिन्न विभागों द्वारा भारत निर्माण सेवकों के समन्वय संबंधी प्रपत्र	
5.	जनपदों में की गयी आई.ई.सी. गतिविधियां एक दृष्टि में	27–28
6.	आई.ई.सी. गतिविधियों के सम्भावित परिणाम	28
7.	बजटीय व्यवस्था	29
8.	जनपद स्तर पर की गयी आई0ई0सी0 गतिविधियां	30–106
	• तालिका, रेखाचित्र एवं ग्राफ द्वारा प्रदर्शन	
	• कैमरे की दृष्टि से	
	• मीडिया के विचार एक दृष्टि में...	
9.	महत्वपूर्ण पत्र एवं शासनादेश	107–131

1. भारत निर्माण सेवक कार्यक्रम की पृष्ठभूमि

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास एवं जन–कल्याणार्थ अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को सम्पर्क मार्ग, आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, आय के स्रोत, रोजगार के अवसर, दक्षता विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबन्धन की कला से भिज्ञता आदि उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर एवं गुणवत्ता में सतत् सुधार लाना है।

वर्तमान परिदृश्य मे कदाचित इन योजनाओं का लाभ ग्रामीण समुदाय एवं लक्षित समूह को मिलने में दिक्कतें अनुभव की जा रही हैं। इन्ही समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण समुदाय से, ग्रामीणो द्वारा नामित इच्छुक स्वयं सेवकों को जो अपने आस–पास के ग्रामीण समुदाय के विकास के लिए प्रयत्नशील एवं समर्पित हो, उनसे परामर्शदाता/प्रेरक/सुविधादाता के रूप में अपनी निःशुल्क सेवा प्रदान करने की अपेक्षा की गयी है। इन्हीं स्वयं सेवकों को भारत निर्माण वालेण्टियर्स के रूप में जाना जायेगा। यह वालेण्टियर्स पंचायतीराज तथा समस्त लाइन डिपार्टमेन्ट्स को योजना नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण आदि में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

आजादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण विकास हुए। सन् 1952 में सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हेतु भारत सरकार ने एक विस्तृत कार्यक्रम समुदाय विकास (सी0डी0पी0) बनाया, जिसमें मुख्यतः ग्राम विकास से संबंधित सभी गतिविधियों को शामिल किया गया। यद्यपि यह कार्यक्रम ग्रामीण समाज की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा फिर भी समग्र विकास में समुदाय की भागीदारी की आवश्यकता की पुष्टि की। इस प्रमुख कार्यक्रम के विफल होने के कारणों को जानने हेतु सरकार ने **श्री बलवंत राय मेहता, संसद सदस्य,** की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्रदत्त समिति का गठन किया। इस टीम ने यह देखा कि सी0डी0पी0 की विफलता का मुख्य कारण प्रत्यक्ष रूप से जनता की न्यून प्रतिभागिता का होना था, अतः जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एवं ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने हेतु और समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सेवकों का ग्राम आधारित संवर्ग बनाने की कार्यनीति के तहत ही भारत सरकार द्वारा **भारत निर्माण सेवक** कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष, 2011 की गयी है।

योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु उससे जुड़े अधिकारियों एवं कार्मिकों का प्रशिक्षण प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है। किसी कार्यक्रम के स्थानीय परिवेश को विभिन्न आंतरिक एवं वाह्य वातावरण प्रभावित करते हैं। योजनाओं को मूर्त रूप देने में न सिर्फ सरकारी स्तर पर वरन् स्थानीय स्तर पर भी जानकारी परक प्रशिक्षण से ही ग्राम्य विकास के सभी प्रयास सफल होंगे, जिनमें ''भारत निर्माण सेवक''

एक अहम् भूमिका निभाएँगे। कार्यक्रमों को लागू करने में, रणनीति बनाने में, क्रिया निर्धारण में, अनुश्रवण व क्रियान्वयन में एवं इनकी उपयोगिता को निर्धारण करने जैसे प्रत्येक स्तर पर एक सकारात्मक निर्णय एवं विचार की आवश्यकता पड़ती है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए ही **"भारत निर्माण सेवकों"** के प्रशिक्षण की आवश्यकता अनुभव की गयी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांकः 22–23 जुलाई, 2010 को नई दिल्ली में मा0 मंत्री ग्राम्य विकास डॉ0 सी0पी0 जोशी एवं मा0 मंत्री सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सुश्री अम्बिका सोनी की अध्यक्षता में **"Strengthening Local Self Governance and Accelerating Rural Development"** विषयक कार्यशाला हुई थी, जिसका उददेश्य संचार के सभी बाधाओं को पारकर सूचना को आम जनमानस तक पहुंचाना था। इस कार्यशाला के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा सर्वोत्तम कार्य एवं नवीन पद्धतियों की आपस में चर्चा की गयी। इस कार्यशाला में ही यह निर्णय लिया गया कि सर्वोत्तम कार्यो के प्रदर्शन एवं अन्य राज्यों में योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार के लिये एस.आई.आर.डीज, को एक ब्लॉक एवं उससे कम से कम एक ग्राम पंचायत को चिन्हित कर वहां के पंचायतीराज पदाधिकारियों और कार्मिकों को ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज विभाग से सम्बन्धित सभी योजनाओं की जानकारियों से अवगत कराने की अपेक्षा की गई। तत्पश्चात एन0आई0आर0डी0 हैदराबाद में तथा कृषि भवन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशालाओं के निष्कर्ष स्वरूप ग्रामीण समुदाय तथा शासकीय विकास तन्त्र के बीच सहयोगी, प्रेरक, बदलाव के वाहक निगरानी कर्ता आदि के रूप में समुदाय के बीच से, समुदाय के लिए स्वयं सेवक (वालेण्टियर) की विचार धारा पर सहमति बनी। इन्ही सेवकों की क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण करके बी0एन0वी0 के रूप में विकसित करने का आहवाह्न किया गया। इस बी0एन0वी0 इनीसिएटिव के तहत विभिन्न राज्यों द्वारा किये जा रहे नित नूतन प्रयास एवं प्रयोगों की अनुभव सहभागिता एवं समीक्षा करने के उददेश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं एन0आई0आर0डी0 हैदराबाद के सयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर की कोलोक्वियम् का आयोजन हैदराबाद, केरल, आसाम, सिक्किम, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में किया गया।

यह भी विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की कोलोक्वियमों में चर्चा की गयी कि बी0एन0वी0 मोबिलाइजेशन हेतु जिला स्तर के अधिकारियों, पंचायतीराज एवं लाइन डिपार्टमेन्ट्स के अधिकारियों को संचेतित एवं जागरूक करने की आवश्यकता है। साथ ही सूचना, शिक्षा तथा जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर कार्यक्रम कों गति प्रदान करने की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता के दृष्टिगत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आई0ई0सी0 कार्यो हेतु वित्तीय सहयोग सभी एस0आई0आर0डीस को दिया। वर्तमान प्रशासनिक रिपोर्ट आई0ई0सी0 गतिविधियों से संबंधित है।

2. आई.ई.सी. की अवधारणा, उद्देश्य, महत्व, प्रासंगिकता एवं आवश्यकता

अवधारणा

सूचना, शिक्षा, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विषय में समुदाय को शिक्षित एवं जागरूक किया जाता है जिससे कि वे सेवाओं के विषय में जान सके व उसका लाभ उठा सके। सूचना, शिक्षा, संप्रेषण का अर्थ है कि अपने सन्देश या विचारों को कुशल शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति या जन–समूह तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना या इसे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि अपने संदेश या विचारों को कुशल व्यक्ति द्वारा प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचाना।

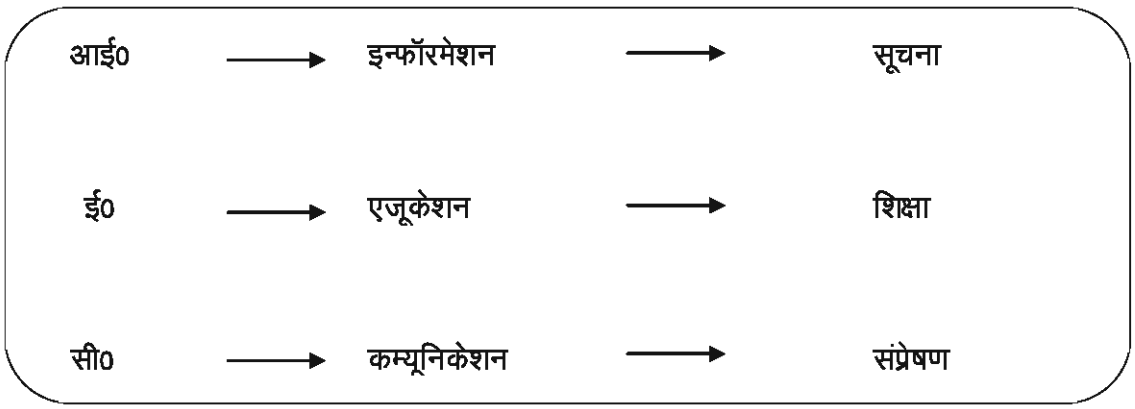

आई0ई0सी0 के उद्देश्य

सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य प्रचार–प्रसार एंव जागरूकता के द्वारा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को आम जनमानस तक पहुंचाना है। इन गतिविधियों के द्वारा जागरूकता उत्पन्न कर सूचना का प्रचार–प्रसार एवं कार्यक्रम संबंधी जानकारी एवं प्रक्रिया का ज्ञान दोनों ही लोगों को यथा– लाभार्थी एवं कार्यपालक/लागू करने वाले को प्रदान कर बेहतर परिणाम प्राप्त करना है।

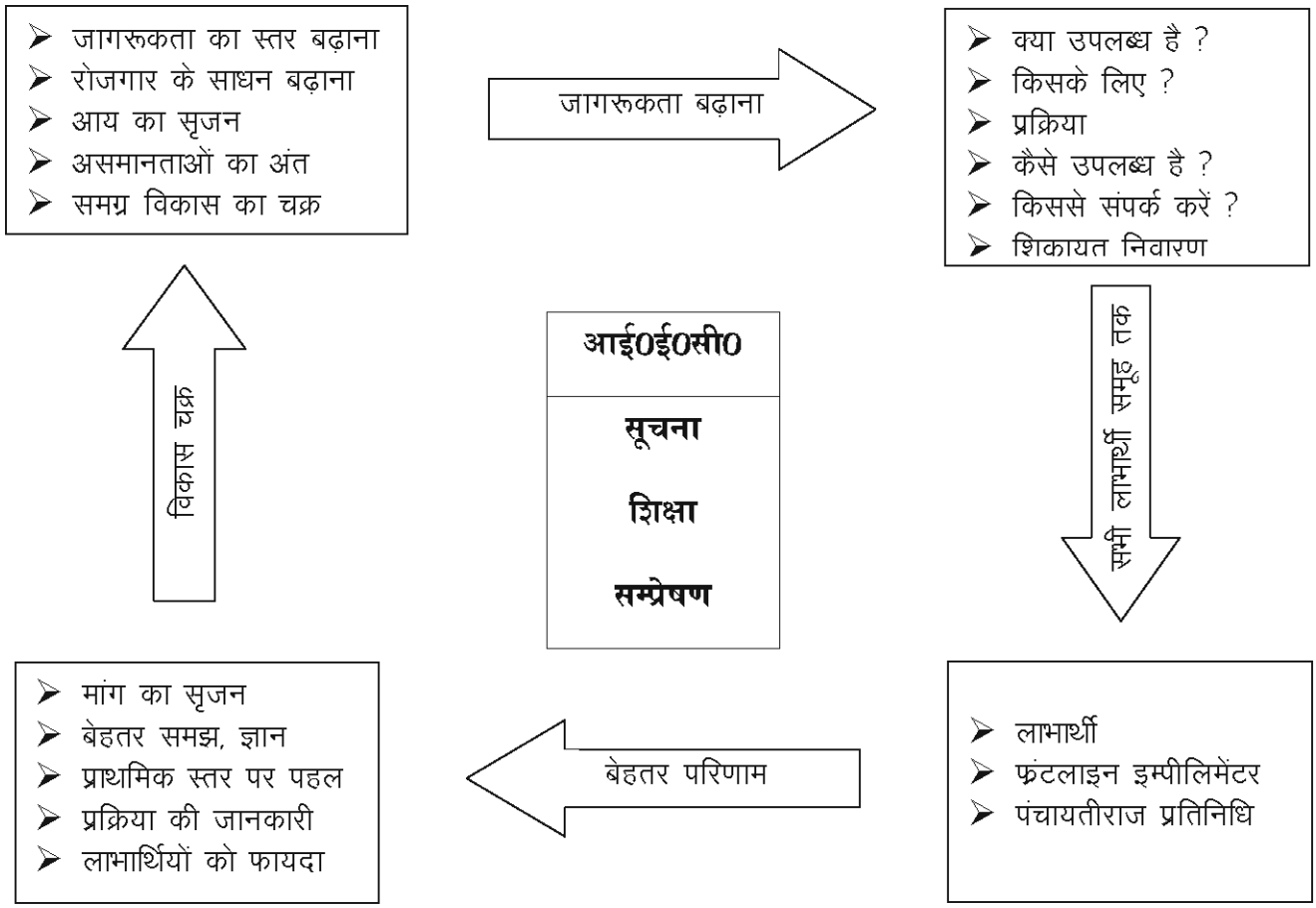

सूचना (संदेश)

सूचना से तात्पर्य है किसी व्यक्ति, विषय, योजना या कार्यक्रम के बारे में जानकारी देना। सूचना एक माध्यम है जिससे संदेश पहुंचाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो संदेश संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषित की जाने वाली सूचना है और इसकी विषय–वस्तु परिवर्तन लाने वाले या बढ़ावा देने वाले व्यवहार से संबंधित होती है।

संदेश की विशेषताएं–

- संदेश उपयोगी और व्यापक होना चाहिए।
- संदेश स्पष्ट होना चाहिए।
- संदेश सही और पूर्ण होना चाहिए।
- संदेश रोचक होना चाहिए।
- संदेश व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए।

- संदेश मौजूदा सामाजिक मानदंडों के अनुसार होना चाहिए और प्रचलित आस्थाओं और रिवाजों के विरूद्ध नहीं होना चाहिए।
- संदेश समुदाय की अनुभव की गई जरूरतों के अनुसार होना चाहिए।
- संदेश श्रोताओं की जानकारी और कुशलताएं बढ़ाने वाला होना चाहिए।
- संदेश विशिष्ट और वैज्ञानिक होना चाहिए।
- संदेश ध्यान आकर्षित करने वाला, विश्वसनीय और सम्मति प्राप्त करने योग्य होना चाहिए।
- अलग – अलग लक्ष्य समूहों के लिए अलग – अलग संदेश दिए जाने चाहिए।
- एक ही समय पर कई संदेश नहीं दिए जाने चाहिए।

रिकोर्ड, दस्तावेज, ई–मेल, मेमो, जनमत रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, सरकुलर्स, जनरल, आदेश आदि से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

शिक्षा

शिक्षा सीखने की एक क्रमिक प्रक्रिया है जिससे कोई व्यक्ति विषय के बारे में जानकारी और समझबूझ प्राप्त करता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के ज्ञान, कौशल एवं रूचियों पर प्रभाव पड़ता है। समाजशास्त्रियों का विचार केन्द्र समाज होता है। इन्होने शिक्षा प्रक्रिया की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित तथ्य उजागार किये हैं–

- शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है।
- शिक्षा अवरित प्रक्रिया है।
- शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है।
- शिक्षा विकास की प्रक्रिया है।
- शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है।

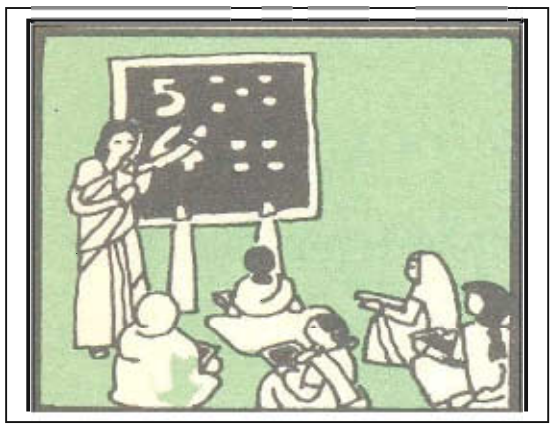

शिक्षा के प्रकार

औपचारिक और	औपचाारिक शिक्षा प्रायः सुनियोजित प्रक्रिया द्वारा व्यक्तियों को दी जाती है। इसकी योजना पहले से ही बना ली जाती है। इसके उद्देश्य को प्राप्त करने की विधि पहले से ही निश्चित हो जाती है।
अनौपचाारिक	अनौपचाारिक शिक्षा में पूर्व योजना का अभाव रहता है। इसमें बालक समाज में रहकर अपने से बड़ों का अनुकरण करके और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं अनुभव प्राप्त करके शिक्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार की शिक्षा का प्रायोजन पहले से निश्चित नहीं होता।
प्रत्यक्ष शिक्षा और	प्रत्यक्ष शिक्षा बालकों एवं शिक्षकों के प्रत्यक्ष सम्पर्क के परिणामस्वरूप सम्भव होती है और प्रायः व्यक्तिगत होती है।
अप्रत्यक्ष शिक्षा	अप्रत्यक्ष शिक्षा परोक्ष रूप से प्राप्त की गयी शिक्षा है और प्रायः अन्य साधनों से प्राप्त होती है।
वैयक्तिक एवं सामूहिक शिक्षा	यह वर्गीकरण शिक्षा में प्राप्त करने वालों की संख्या के आधार पर निर्मित है। वैयक्तिक शिक्षा में केवल एक शिक्षार्थी द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का भाव निहित है और सामूहिक शिक्षा में अनेक बालक एक साथ एक ही समय में शिक्षा प्राप्त करते हैं।
सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा	सामान्य शिक्षा में बालक को सामान्य जीवन के लिए तैयार किया जाता है और उनकी सामान्य मेधा को प्रशिक्षित किया जाता है। सामान्य शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य होता है और इसमें छात्रों को किसी व्यवसाय के लिए तैयार किया जाता है।

संप्रेषण

संप्रेषण सूचना देने तथा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान – प्रदान करने की दो तरफा प्रक्रिया है। संप्रेषण शब्द ''प्रेषण'' और ''प्रेषित करना'' जैसी क्रियाओं को अपने में संजोए हुए है जिनका अर्थ होता है किसी वस्तु या विचार को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। दूसरे के विचारों तथा भावों के प्रभावपूर्ण आदान–प्रदान के लिए प्रेषण स्रोत तथा प्राप्तिकर्ता दोनों की ही समान रूप से प्रभावी भूमिका रहती है।

संप्रेषण की प्रक्रिया

संचार में प्रक्रियात्मक दृष्टि से अनेक चरण सम्मिलित है जिनसे मिलकर संचार प्रक्रिया पूर्ण होती है। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने संचार में मुख्य रूप 5 चरणों या तत्वों को समाहित किया है।

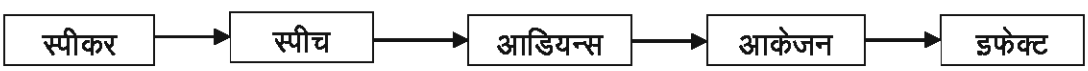

वक्ता सन्देश श्रोता अवसर प्रभाव

दार्शनिक लासवेल के प्रारूप में भी मुख्य रूप से 5 चरण समाहित है। लासवेल के इस पंच प्रतिरूपों को 05 क से जाना जाता है।

लासवेल का संचार प्रारूप

प्रतीक 05 क	अवयव या अभिव्यक्ति
• कौन ?	प्रेषक (स्रोत्र)
• क्या कहता है ?	सन्देश (सन्दर्भ)
• किस माध्यम से ?	संचार माध्यम
• किसके लिए ?	श्रोता
• क्या प्रभाव ?	प्रभाव

सम्प्रेषण की प्रक्रिया अवयव एवं घटक

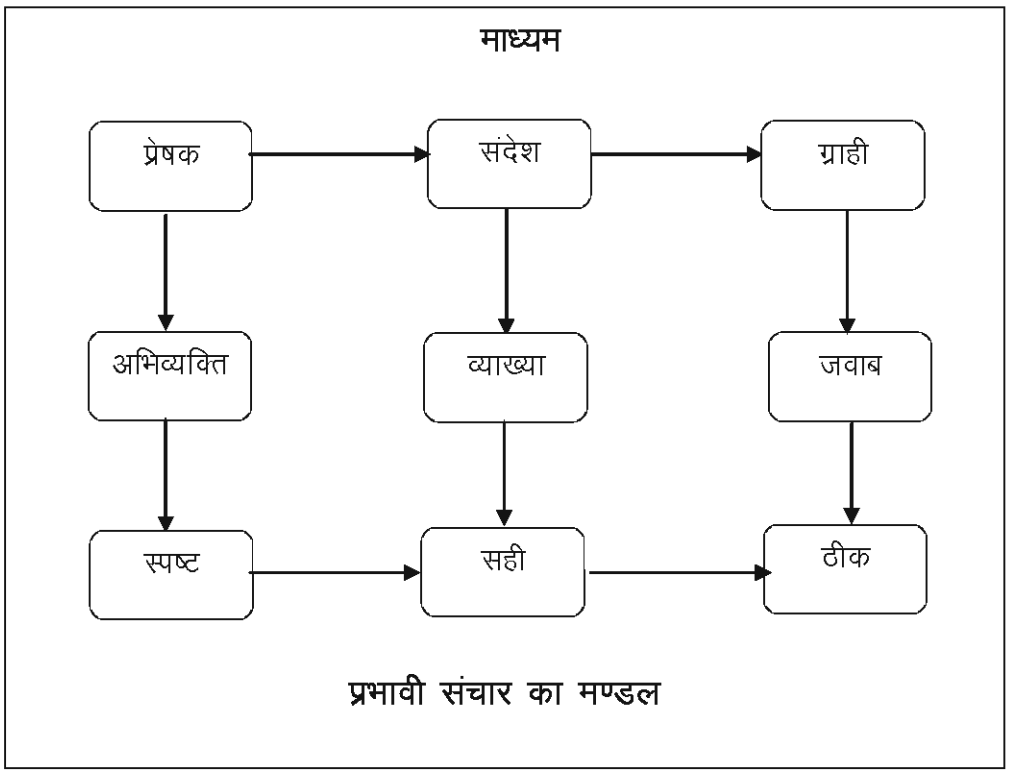

प्रभावी संचार का मण्डल

संप्रेषण के विभिन्न माध्यम

श्रव्य माध्यम AUDIO MEDIA 	संप्रेषणकर्ता और ग्राहक दोनों ही इस अवस्था में श्रव्य माध्यम की सहायता से संप्रेषण रखते हैं। रेडियों, टेप रिकॉर्डर लाउडस्पीकर, डुगडुगी, नगाड़ा, ढ़ोल – मंजीरा इत्यादि श्रव्य संसाधनों से संपन्न संप्रेषण इसी श्रेणी में आते हैं।
दृश्य माध्यम VISUAL MEDIA 	इसमें संप्रेषण प्रक्रिया के लिए एक मात्र दृश्य माध्यमों को काम में लाया जाता है। चार्ट, चित्र, मानचित्र, मॉडल, समाचारपत्र, पत्रिकाऐं, बैनर, दीवार, लेखन इत्यादि दृश्य संसाधनों में आते हैं।
दृश्य श्रव्य माध्यम AUDIO VISUAL MEDIA 	इसमें संप्रेषण के लिए श्रव्य तथा दृश्य दोनों ही माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन, चलचित्र, बाइस्कोप इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं।
बहु – इंद्रिय माध्यम MULTI-SENSORY MEDIA 	इसमें अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों (आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा) का उपयोग करते हुए संप्रेषण प्रक्रिया की जाती है। इस माध्यम से प्रभावशाली परिणाम सामने आते है।
जन–सम्पर्क माध्यम MASS MEDIA 	जब संप्रेषण प्रक्रिया में बहुत अधिक व्यक्तियों को शामिल करने का प्रश्न हो तो जन सम्पर्क माध्यम जैसे रेडियों, टेलीविजन, सिनेमा, फिल्म, मुद्रित सामग्री, पुस्तक, पत्र – पत्रिकांए तथा इंटरनेट और वेबसाइट पर आधारित अति आधुनिक माध्यमों की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है।
बहु माध्यम MULTI MEDIA	इस संप्रेषण प्रक्रिया में विविध साधनों एवं माध्यमों का प्रयोग व्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से किया जाता है।

आई0ई0सी0 का क्षेत्रफल/विस्तार

आई0ई0सी0 क्रियायें/गतिविधियों का क्षेत्रफल सीमित न होकर बेहद विस्तृत है। गांवों का विकास देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है, गांवों के सम्पूर्ण एवं समग्र सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में आई0ई0सी0 गतिविधियाँ निम्नानुसार तथ्यों एवं योजनाओं इत्यादि पर जानकारी देकर विकास चक्र को गतिशील कर सकती है।

- स्थानीय स्वशासन
- स्वास्थ्य : बाल स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य
- शिक्षा : प्राथमिक स्तर कम से कम शत–प्रतिशत सुनिश्चित हो
- पोषण
- जल एवं स्वच्छता
- सामाजिक कुरीतियाँ : दहेज, बाल विवाह, रूढ़िवादिता इत्यादि
- स्वयं सहायता समूह
- आजीविका शिक्षा
- रोजगार के साधन
- आपदा प्रबन्धन
- विभिन्न रोगों से बचाव संबंधी जानकारी
- सड़क सुरक्षा
- यौन शिक्षा संबंधी जानकारी
- गर्भपात
- प्रशिक्षण खेल इत्यादि

बदलते ग्राम्य विकास परिवेश में आई0ई0सी0 की महत्ता कारण

- ग्राम्य विकास की प्राथमिकताओं में बदलाव
- मुद्रास्फीति की दर में लगातार वृद्धि
- मांग आधारित कार्यक्रमों की बढ़त
- वैश्वीकरण
- पारदार्शिता एवं जवाबदेही की बढ़ती माँग
- योजनाओं एवं कार्यक्रम संबंधी अधिक से अधिक जानकारी, लाभ एवं प्रक्रिया की लाभार्थियों एवं हिताधिकारियों द्वारा माँग
- कार्यक्रम की अधिक एवं बेहतर जानकारी मांग सृजन में सहायक होगी

आई0ई0सी0 हेतु संप्रेषण की विभिन्न विधियां एवं सामग्री

जन सम्प्रेषण इसका तात्पर्य लोगों के विशाल समूह को संदेश पहुंचाना है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जागरूकता लाने तथा दूसरों तक जानकारी पहुंचाने के लिए किया जाता है। 	**इलैक्ट्रानिक सामग्री** वीडियों टेप, रेडियों कार्यक्रम, आडियों टेप, टेलीविजन कार्यक्रम, स्लाइडे आदि। **मुद्रित सामग्री** पुस्तकें, प्रस्तिकायें, फोल्डर, इश्तेहार, परचे, पत्र समाचार पत्र, विज्ञापन, पोस्टर, फोटोग्राफ, होर्डिंग, पत्रिकायें, जर्नल आदि। **लोक तथा पारम्परिक कला** गीत, नृत्य, नाटक, कीर्तन/भजन, कठपुतली, नगाड़ा दीवार लेखन आदि। **वैकल्पिक** गली नाटक, नुक्कड़ नाटक, नौटंकी आदि। **बहु मीडिया अभियान** प्रचार/जागरूकता, अभियान एवं प्रदर्शन।
सामूहिक सम्प्रेषण इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि लोगों के छोटे – छोटे समूहों तक एक साथ संदेश पहुंचाना है। इसका इस्तेमाल इन समूहों को प्रेरित तथा प्रभावित करने के लिए किया जाता है।	भाषण/सामूहिक बैठकें, शिविर, क्षेत्रीय दौरा, भूमिका अभियान। 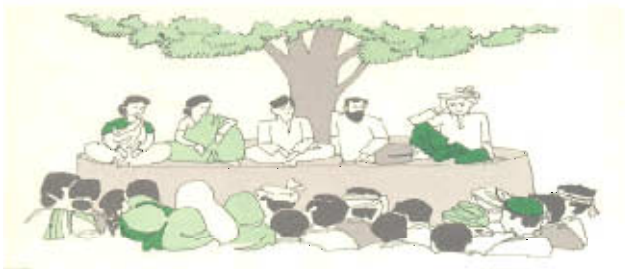
अन्तः वैयक्तिक सम्प्रेषण इसका तात्पर्य किसी एक व्यक्ति तक आमने – सामने संदेश पहुंचाना है। इसका प्रयोग विचारों तथा प्रथाओं और व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाने में मदद करता है।	घरेलू दौरा, परामर्श, बातचीत, प्रेरणा तथा विश्वास पैदा करना।

आई0ई0सी0 के प्रभावीकरण हेतु समुदाय के सहयोगी व्यक्ति

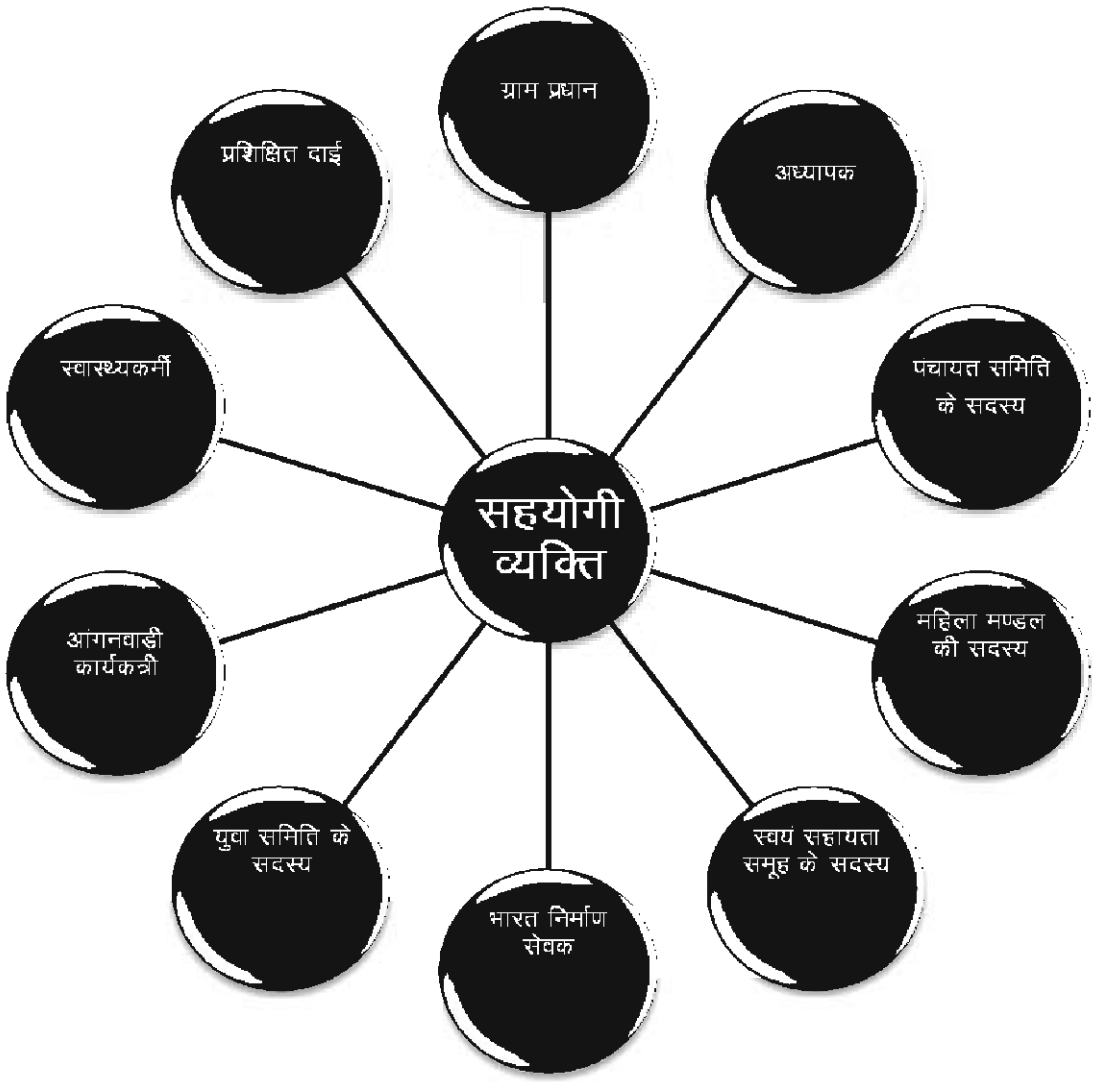

वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों एवं कार्मिकों की भूमिका एवं समुदाय की अपक्षाएं

- केन्द्र, राज्य एवं जिलों के अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखना।
- ब्लॉक स्तर पर बी0एन0वी0 संबंधी गतिविधियों पर नजर/निगरानी रखना।
- ग्रामीण समुदाय हेतु आई0ई0सी0 जरूरतों को देखना व समझाना।
- आई0ई0सी0 संबंधी सामग्री को स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकसित व वितरित करना।
- बी0एन0वी0 वर्ग को जागरूक, समृद्ध एवं सशक्त करना, ताकि ज्ञान एवं जागरूकता का संचार हो।
- एस0आई0आर0डी0 को बी0एन0वी0 संबंधी कार्यक्रमों, कार्यशालाओं एवं सेमिनारों के जरिए क्षमता संवर्द्धन हेतु सहायता करना।

आई0ई0सी0 की गतिविधियां

1. जागरूकता अभियान

अभियान के तहत योजनाओं से समुदाय को परिचित कराया जाता है। अभियान के द्वारा योजनाओं के विभिन्न बिन्दुओं व उन्हें अमल में लाने में आ रही समस्याओं से लोगों को परिचित करा कर, उन्हें दूर करने का उपाय बताया जाता है। यह जनमानस से जुड़े विशेष मुद्दों की जानकारी हेतु किये जा सकते हैं। जैसे– महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य सुविधायें, सामाजिक बुराइयाँ इत्यादि।

विधि

इसके अर्न्तगत योजनाओं से जुड़े लोगों की सहायता लेते हुए, क्षेत्र में जगह – जगह गोष्ठी करायी जा सकती है। स्कूल के बच्चों को लेकर गांव में रैली निकाली जा सकती है। संध्या के समय गांव में फिल्म प्रदर्शन करना तथा उस पर चर्चा करना।

अभियान में ध्यान रखने योग्य बिन्दु

- विषय वस्तु का निर्धारण करें।
- अभियान के लिए आवश्यक सामग्री जैसे बैनर, पोस्टर इत्यादि को विषय वस्तु के अनुसार तैयार करें।
- समय व तिथि, स्थान का निर्धारण इस तरह करें, कि जिस समय समुदाय के लोग उनकी बातें सुविधापूर्वक सुन सकें।
- समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ता व अन्य सहयोगी व्यक्तियों को इसकी सूचना पहले से दे व उन्हें विश्वास में लें।
- अभियान के आयोजन के समय सभी की सहभागिता सुनिश्चित करें।
- अभियान के मध्य व पश्चात् उन बिन्दुओं को अवश्य नोट करें जहां समस्यायें उत्पन्न हुई, जहां की उपलब्धि बहुत अच्छी रही, इन बिन्दुओं को अगले अभियान के आयोजन के समय ध्यान में रखा जाये।
- वकालत अभियान में ऐसे नारों का चयन करें जो बोलने में आसान हो व सहजता से लोग समझ सकें।

2. नुक्कड़ नाटक

इसका प्रयोग विशेष दिवसों पर किया जाता है जिससे सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित कर कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकें। इसके जरिये ग्रामवासियों को अधिक मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धक तरीके से कार्यक्रम की जानकारी दी जा सकती है। इसके लिए सम्बन्धित क्षेत्र में कलाकारों, मण्डलियों, युवा मण्डल दल इत्यादि से सम्पर्क करना चाहिए एवं उसकी सेवाएं प्राप्त करना चाहिए।

नाटक आयोजन के समय ध्यान रखने योग्य बातें :–

- नाटक की विषय वस्तु चयन।
- बोले जाने वाले संवाद को पहले से लिखकर व उसे पहले से याद करने के लिए कहें।
- नाटक का अभ्यास पहले से किया जाना आवश्यक है।
- नाटक के समय प्रस्तुत सामग्री जैसे वस्त्र और अन्य चीजों की पहले से व्यवस्था करें। इसकी एक सूची पहले से बना लें, जिससे समय पूर्ण ही समस्त सामग्री एकत्रित की जा सके।
- नाटक के स्थान, समय का निर्धारण आदि ऐसा होना चाहिए जहां अधिक से अधिक लोग उसे देख सके। इसके लिए किसी सार्वजनिक स्थान का चयन करना चाहिए जहां से लोग आते जाते हों, व लोगों को सहज ही आकर्षित किया जा सकता है।
- नाटक के आयोजन के समय आवाज तेज व स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोग उसे सुन व समझ सकें।
- नाटक की विषय वस्तु के चयन के साथ सामाजिक मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे कि जन सामान्य अपने आस पास की समस्याओं से परिचित हो सकें तथा उसके समाधान के लिए आवश्यक निर्णय ले सकें।
- अंत में विषय वस्तु को निर्णायक विचार के साथ छोड़े या ऐसे स्थान पर जिससे कि श्रोता बाद में उस पर चर्चा कर अपनी राय कायम कर सकें।

3. सामुदायिक बैठक/गृहभ्रमण

कार्यक्रम की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के प्रभावशाली एवं सक्रिय लोगों से मिलकर कार्यक्रम की सेवाओं पर सामुदायिक बैठक आयोजित की जाती है या लाभार्थी समूह के घर जाकर कार्यक्रम के बारे में आमने – सामने बैठक कर कार्यक्रम सम्बन्धित संदेश/जानकारी दी जाती है। **समुदाय को कार्यक्रम के बारे में अवगत कराने तथा उन्हे अपने उद्देश्य से जोड़ने का एक बहुत प्रभावशाली तरीका है, घर – घर जाकर लोगों से सम्पर्क करना।** इसमें कार्यक्रम के लाभ बताकर एवं यह जानकारी दे कि यह कार्यक्रम उनका अपना कार्यक्रम है, ऐसा करने से कार्यक्रम में सहभागिता के लिए उन्हे प्रेरित किया जा सकता है।

बैठक/गृहभ्रमण आयोजित करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें

- कार्यक्रम की सफलता के लिए अन्य संस्थाओं (सरकारी/गैर सरकारी), कार्य–कर्मियों को सहयोग प्रदान करें।
- सामुदायिक बैठक हेतु उपयुक्त स्थान का चयन करें।
- लोगों में विद्यमान भ्रातियों एवं आशंकाओं को दूर करने के लिए खुली चर्चा करें जिससे लोग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित हों।
- समुदाय के कार्यक्रम से सम्बन्धित सहयोगी व्यक्तियों को बैठक में अवश्य शामिल करें जिससे लोग प्रभावित हों।
- फ्लैश कार्ड, फिलिप चार्ट, खेलों का प्रयोग करें ।

4. प्रदर्शनी – मेला

हमारे देश में प्रदर्शनियाँ बहुत लोकप्रिय है क्योंकि जनता के लिए मनोरंजन का प्रबन्ध हो जाता है। प्रचार के लिए प्रदर्शनियाँ और मेलों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके लिए अलग–अलग अवसरों का लाभ उठाया जाता है जैसे– कृषि विश्वविद्यालय किसान मेले करवाती है जिनमें पशु प्रदर्शनियां भी होती हैं। बड़े–बड़े तीर्थो में लाखों की संख्या में यात्री कुम्भ, सूर्यग्रहण आदि के मेलों पर इकट्ठे होते है, ऐसी स्थिति में इनका उपयोग किया जा सकता है।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के प्रयास, भारत की एकता, परिवार कल्याण तथा छोटी–छोटी बचतों आदि विषयों पर प्रदर्शनी आयोजित की जा सकती है। कार्यक्रम से सम्बन्धित उपलब्ध वस्तुएं, संम्बन्धित पठन–पाठन सामग्री आदि की प्रर्दशनी गांव में लगाने से कार्यक्रम की जानकारी आम जनमानस तक शीघ्र पहुंचाने का एक अच्छा तरीका है।

ध्यान देने योग्य बातें

- प्रदर्शनी में कुछ न कुछ अनोखापन या निरालापन हो।
- नये – नये तरीके प्रदर्शित करें।
- कार्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न तकनीकी मॉडल की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- प्रर्दशनी में कार्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न घटकों को पोस्टर द्वारा प्रदर्शित करें।
- फिल्म–शो द्वारा प्रर्दशनी को प्रभावशाली बनाये।

5. दीवार लेखन

इसके अर्न्तगत कार्यक्रम से सम्बन्धित संदेशों, नारों को दीवार पर लिखा जाता है जिससे की ग्रामीणों/समुदाय के लोगों को योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित जानकारी प्राप्त होती है तथा वे जागरूक होते हैं।

ध्यान देने योग्य बातें

- सामान्य तौर पर एक ग्राम पंचायतों में नारा लेखन हेतु ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहां आम जनमानस की दृष्टि सहजता से पड़ती हो।
- नारों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए।
- लेखन हेतु उपयुक्त रंगों तथा बड़े अक्षरों का प्रयोग करें, जिससे की दूर से संदेश दिखाई दे।

3. कार्यक्रम हेतु चयनित जनपद

भारत निर्माण सेवकों का मोबलाइजेशन कार्य चरणबद्ध रूप से उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों मे किया जाना प्रस्तावित है। कार्यक्रम का प्रारम्भ जनपद चित्रकूट से किया गया था। प्रथम चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) वाले 22 जनपदों में तथा 05 अन्य इच्छुक जनपदों में सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के प्रस्ताव पर योजना का विस्तार किया गया। प्रथम चरण में उ0 प्र0 के कुल 27 जनपदों में भारत निर्माण सेवकों के चयन, मोबिलाइजेशन एवं प्रशिक्षण का कार्य त्वरित गति से किया गया है। वर्तमान में लगभग 25000 से अधिक सेवकों का पंजीकरण भारत सरकार की दीक्षा बेवसाइड पर किया जा चुका है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 75 जनपदो में से लगभग 39 जनपदों में BNVI का विस्तार किया गया है। इस प्रकार भारत सरकार की मंशा अनुरूप धीरे–धीरे समस्त उ0 प्र0 में कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है।

क्र0	संस्थान का नाम	क्र0	आच्छादित जनपद	चयनित भारत निर्माण सेवक
1	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, आगरा	*1*	आगरा	613
2	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, अलीगढ़	*2*	अलीगढ़	620
3	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, इलाहाबाद	*3*	इलाहाबाद	1206
4	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, मऊ	*4*	आजमगढ़	332
5	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, फैजाबाद	*5*	फैजाबाद	853
		6	अम्बेदकर नगर	817
6	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, इटावा	*7*	इटावा	953
		8	औरैया	1007
7	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बदायूँ	*9*	बदायूँ	828
8	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बस्ती	*10*	बस्ती	552
9	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बांदा	*11*	बांदा	525
		12	चित्रकूट	1517
10	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बहराइच	*13*	बहराइच	688
11	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बागपत	*14*	बागपत	900
12	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बिजनौर	*15*	बिजनौर	1013
13	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, वाराणसी	*16*	चन्दौली	1345
		17	वाराणसी	1
14	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, देवरिया	*18*	देवरिया	886

15	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, हरदोई	*19*	हरदोई	678
16	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, हमीरपुर	*20*	हमीरपुर	316
		21	महोबा	
17	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, जालौन	*22*	जालौन	690
18	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, खीरी	*23*	खीरी	669
19	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, मिर्जापुर	*24*	मिर्जापुर	964
		25	सोनभद्र	1411
20	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, मुजफ्फरनगर	*26*	मुजफ्फरनगर	1742
21	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, गोण्डा	*27*	गोण्डा	1164
22	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बुलन्दशहर	*28*	बुलन्दशहर	1460
23	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, लखावटी	*29*	बुलन्दशहर	690
24	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ	*30*	लखनऊ	630
		31	अमेठी	
25	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, रायबरेली	*32*	रायबरेली	
26	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, झांसी	*33*	झांसी	
27	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, ललितपुर	*34*	ललितपुर	
28	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, मैनपुरी	*35*	मैनपुरी	
29	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, रामपुर	*36*	रामपुर	
30	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, कन्नौज	*37*	कन्नौज	
31	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बाराबंकी	*38*	बाराबंकी	117
32	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, सीतापुर	*39*	सीतापुर	
कुल योग				**25187**

4. आई.ई.सी. कार्यो हेतु राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा की गई पहल एवं क्रिया – कलापों के विवरण

क) विभिन्न बैठकों/कार्यशालाओं का आयोजन

❖ **दिनांक 17–9–2010** को विजन प्लान फॉर ट्रेनिंग के तहत ''भारत निर्माण सेवक'' इनीसिएटिव योजनान्तर्गत चयनित जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड–मऊ के कार्मिकों, पंचायत पदाधिकारियों तथा ग्रामीण समुदाय की क्षमता–संवर्द्धन की दिशा में **सूचना एवं जन–संचार माध्यमों की भूमिका** पर एक बैठक महानिदेशक, संस्थान की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी। जिसमें निदेशक आकाशवाणी, लखनऊ, उप निदेशक एडवर्टाइजिंग एण्ड विजुअल पब्लिसिटी निदेशालय, निदेशक फील्ड पब्लिसिटी निदेशालय, उप निदेशक प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो, निदेशक दूरदर्शन केन्द्र तथा उप निदेशक साँग एण्ड ड्रामा डिवीजन, अलीगंज, लखनऊ के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया था।

❖ **एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन**

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–एम–12017/1/2010–ट्रेनिंग MoRD, GoI, Trg Division दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के महत्वपूर्ण भारत निर्माण सेवक कार्यक्रम का उ0प्र0 के अधिकाधिक जनपदों में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु **एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला** का आयोजन एस.आई.आर.डी. द्वारा दिनांक : **05 दिसम्बर, 2011** को किया गया था। कार्यशाला में श्री नितिन चन्द्रा, संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार व उनकी टीम, ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश से श्री संजीव कुमार, आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के आचार्य/जिला प्रशिक्षण अधिकारियों समेत कुल 72 लोगों ने प्रतिभाग किया था।

❖ **भारत निर्माण सेवक इनीसिएटिव से संबंधित प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास उ0प्र0 के कक्ष में दिनांक 30.01.2012 की बैठक**

भारत सरकार के पत्र दिनांक D.O. No. M-12017/1/2010- Trg. दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 के द्वारा प्रदेश में 25 हजार भारत निर्माण सेवक के चयन एवं उनके मोबिलाइजेशन का लक्ष्य 2011–12 में निर्धारित किया गया था। भारत निर्माण सेवक मोबिलाइजेशन का विस्तार करने के उद्देश्य से **दिनांक 30.01.2012** को प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास उ0प्र0 की अध्यक्षता में एक बैठक उनके कक्ष में आयोजित की गयी थी, जिसमें अपर आयुक्त ग्राम्य विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के निदेशक श्री उपाध्याय तथा डॉ0 ओ0 पी0 पाण्डेय संयुक्त निदेशक एस0आई0आर0डी0 ने भाग लिया था, जिसमें भारत निर्माण

सेवक इनीसिएटिव से सम्बन्धित आयोजित सभी राष्ट्रीय कार्यशालाओं एवं विभिन्न राज्यों में किये जा रहे प्रयासों से सभी को अवगत कराया गया। बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास उ0प्र0 ने कार्यक्रम के विस्तार से संबंधित शासनादेश सामान्य राज्य चुनाव के पश्चात् मार्च, 2012 में जारी कराने हेतु कहा था। यह भी विचार–विमर्श हुआ कि भारत निर्माण सेवक की क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण का कार्य एस0आई0आर0डी0 एवं अधीनस्थ संस्थाएँ (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान) करेगी तथा भारत निर्माण सेवक का चयन, उनसे अपेक्षित सहयोग प्राप्त करना, भारत निर्माण सेवक प्रोफाइल को वेबसाइट पर अपलोड करना तथा अभिलेखों के रख–रखाव आदि का कार्य खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा। ब्लॉक/जिला/राज्य स्तर की लैब–टू–लैण्ड इनीसिएटिव की प्रगति समीक्षा एवं परामर्श देने हेतु गठित होने वाली समिति पर भी चर्चा हुई। प्रमुख सचिव.(ग्राम्य विकास) एवं अपर आयुक्त/निदेशक एन.आर.एल.एम. श्री उपाध्याय ने लैब–टू–लैण्ड इनीसिएटिव के विस्तार हेतु प्रथम चरण में सभी एन.आर.एल.एम. जिलों (22) को लिए जाने हेतु कहा था।

ख) शासनादेशों का जारी होना

❖ **04 अप्रैल, 2012 का शासनादेश**

ग्राम्य विकास, अनुभाग– 2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या– एस–73/38–2–2012–07–टी–2011, लखनऊ दिनांक 04 अप्रैल, 2012 जो उ0 प्र0 के समस्त जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों को सम्बोधित तथा महानिदेशक दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान लखनऊ को पृष्ठांकित है, में कार्यक्रम क्रियान्वयन से संबंधित विवरण विस्तार से दिया गया है।

ग) राज्य स्तर पर आयोजित कार्यशालायें/सेमिनार

❖ **'' भारत निर्माण सेवक पहल'' का छठा राष्टीय अधिवेशन 19 से 21 अप्रैल 2012, लखनऊ**

''**भारत निर्माण सेवक पहल**'' का छठा राष्ट्रीय अधिवेशन श्री एन.एस.रवि प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास उ0प्र0/महानिदेशक संस्थान की देख रेख में 19 से 21 अप्रैल, 2012 को लखनऊ शहर के होटल क्लर्क अवध में आयोजित हुआ था। इसमें माननीय श्री शिशिर अधिकारी केन्द्रीय ग्रामीण विकास राजमंत्री, माननीय श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री, माननीय श्री अरविन्द सिंह 'गोप' ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राज्य सरकार उ०प्र० सरकार, श्री नितिन चन्द्रा संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, श्री आलोक रंजन कृषि उत्पादन आयुक्त उ० प्र०, श्री अनुराग

श्रीवास्तव आयुक्त ग्राम्य विकास उ०प्र०, महानिदेशक, जम्मू–कश्मीर प्रमोद जैन, ब्रहमकुमारीज और रामकृष्ण मिशन के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में भारत निर्माण सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता और उच्चाधिकारियों ने भाग लिया।

घ) प्रशिक्षण साहित्य एवं लघु फिल्मों का निर्माण

आई0ई0सी0 साहित्य

- ❖ भारत निर्माण सेवक– दिग्दर्शिका
- ❖ प्रधानमंत्री संदेश (हिन्दी व अंग्रेजी)
- ❖ पंचायतीराज व्यवस्था एवं ग्राम सभा
- ❖ मनरेगा
- ❖ आई0सी0डी0एस0
- ❖ मध्यांहन भोजन
- ❖ सामाजिक अंकेक्षण
- ❖ सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता
- ❖ महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विधिक अधिकार
- ❖ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

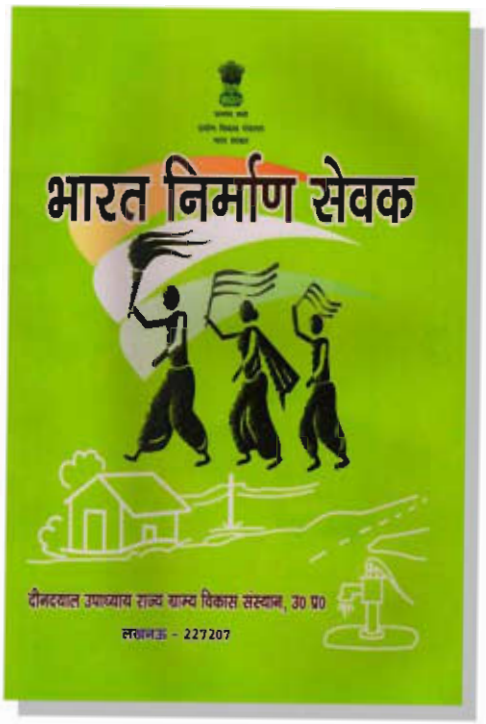

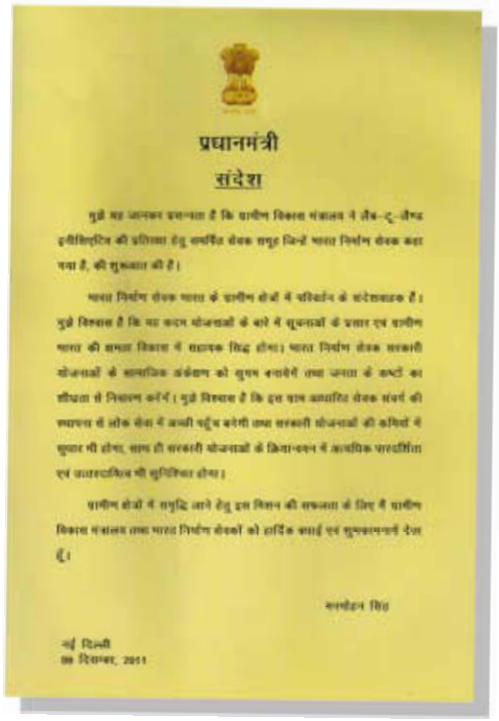

प्रधानमंत्री

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लैब-टू-लैण्ड इनीशिएटिव की प्रतिबद्धता हेतु समर्पित सेवक समूह जिन्हें भारत निर्माण सेवक कहा गया है, की शुरूआत की है।

भारत निर्माण सेवक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन के संदेशवाहक हैं। मुझे विश्वास है कि यह कदम योजनाओं के बारे में सूचनाओं के प्रसार एवं ग्रामीण भारत की समग्र विकास में सहायक सिद्ध होगा। भारत निर्माण सेवक सरकारी योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण को सुगम बनायेंगे तथा जनता के कष्टों का शीघ्रता से निवारण करेंगे। मुझे विश्वास है कि इस ग्राम आधारित सेवक संवर्ग की स्थापना से लोक सेवा में अच्छी पहुँच बनेगी तथा सरकारी योजनाओं की कमियों में सुधार भी होगा, साथ ही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अत्यधिक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने हेतु इस मिशन की सफलता के लिए मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा भारत निर्माण सेवकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें देता हूँ।

मनमोहन सिंह

नई दिल्ली
[illegible] दिसम्बर, 2011

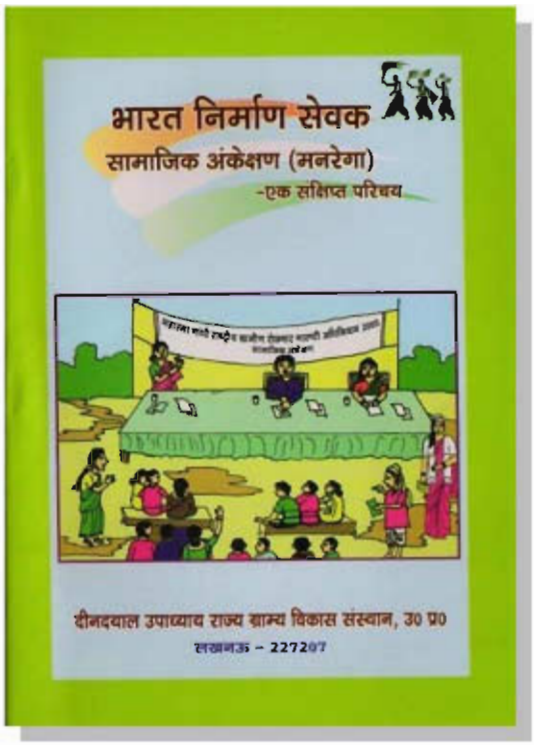
भारत निर्माण सेवक
सामाजिक अंकेक्षण (मनरेगा)
-एक संक्षिप्त परिचय
दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0 प्र0
लखनऊ - 227207

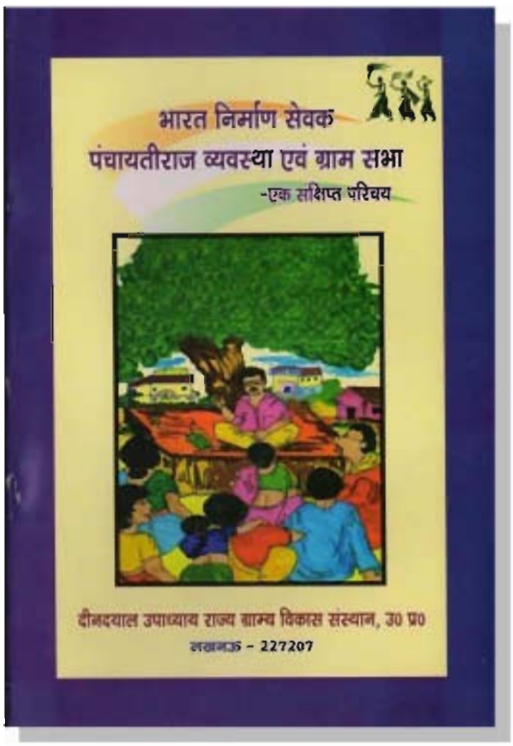
भारत निर्माण सेवक
पंचायतीराज व्यवस्था एवं ग्राम सभा
-एक संक्षिप्त परिचय
दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0 प्र0
लखनऊ - 227207

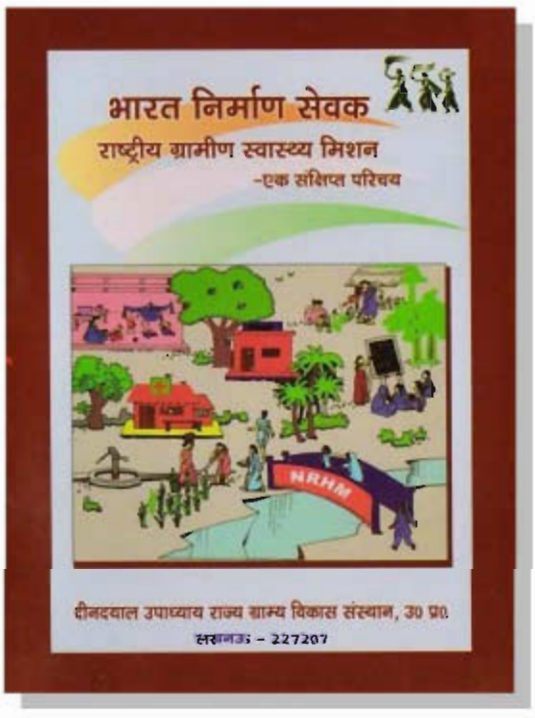
भारत निर्माण सेवक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
-एक संक्षिप्त परिचय
NRHM
दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0 प्र0
लखनऊ - 227207

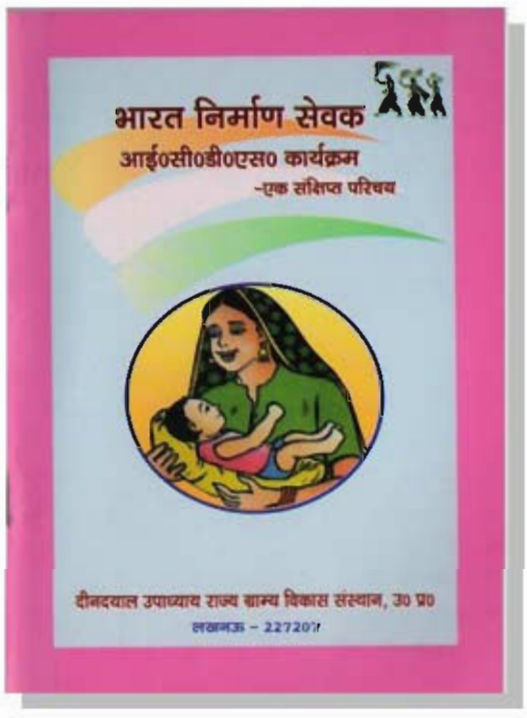
भारत निर्माण सेवक
आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम
-एक संक्षिप्त परिचय
दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0 प्र0
लखनऊ - 227207

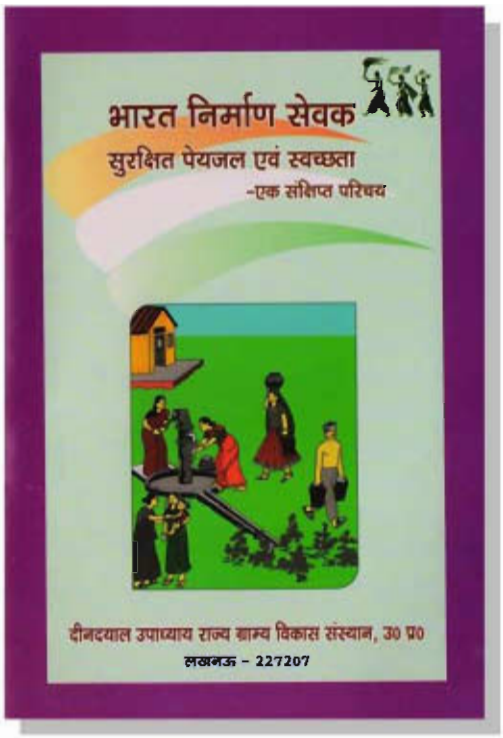
भारत निर्माण सेवक
सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता
-एक संक्षिप्त परिचय
दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0 प्र0
लखनऊ - 227207

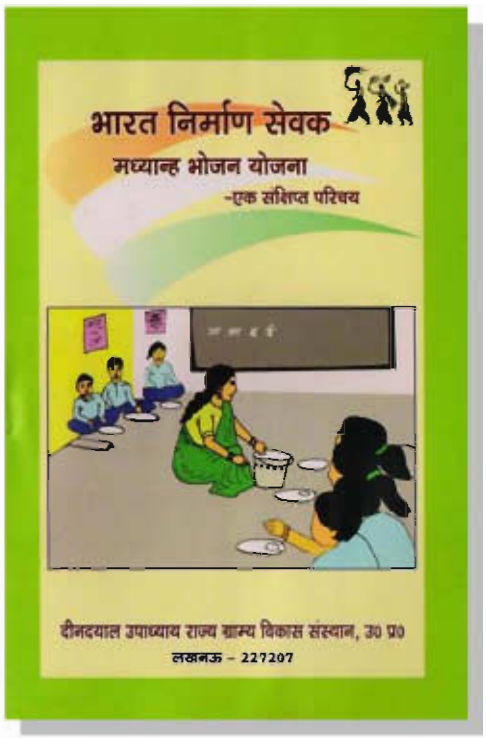
भारत निर्माण सेवक
मध्यान्ह भोजन योजना
-एक संक्षिप्त परिचय
दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0 प्र0
लखनऊ - 227207

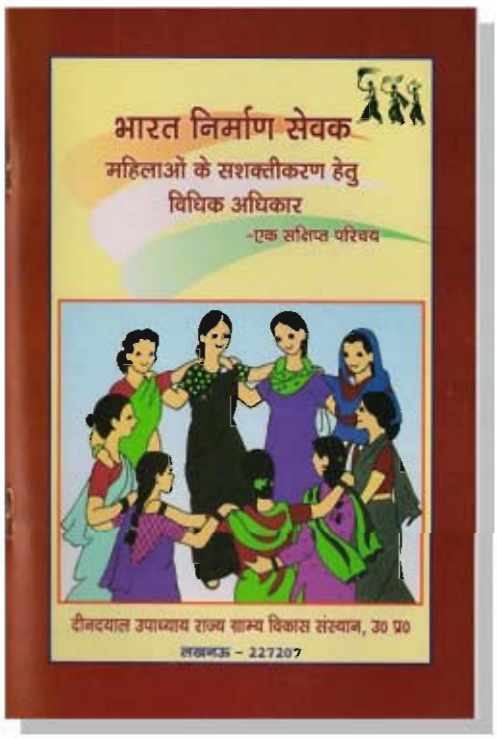
भारत निर्माण सेवक
महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु
विधिक अधिकार
-एक संक्षिप्त परिचय
दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0 प्र0
लखनऊ - 227207

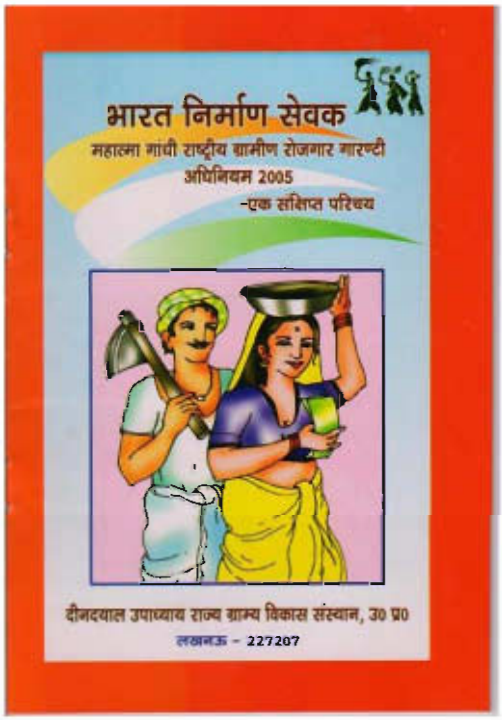
भारत निर्माण सेवक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी
अधिनियम 2005
-एक संक्षिप्त परिचय
दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0 प्र0
लखनऊ - 227207

लघु फिल्में

एन0एफ0डी0सी0, नई दिल्ली द्वारा निर्मित लघु फिल्में

- ❖ दीक्षा
- ❖ ग्राम सभा
- ❖ रोजगार मेरा अधिकार
- ❖ पुकार
- ❖ बढ़ें चलो

राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा निर्मित

- ❖ एस0आई0आर0डी0
- ❖ भोर

ड़) विभिन्न विभागों द्वारा भारत निर्माण सेवकों के समन्वय संबंधी प्रपत्र

❖ ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के श्री एस0विजय कुमार सचिव के अर्ध शासकीय पत्र **एल0– 11024/01/12– प्रशिक्षण दिनांक 10 अक्टूबर, 2012** के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर स्वच्छता एवं पोषण कमेटी में भारत निर्माण सेवकों का सहयोग दिये जाने संबंधी निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के अतिरिक्त राज्य ग्राम्य विकास संस्थानों, पंचायतीराज पदाधिकारियों एवं भारत निर्माण सेवकों को एन0आर0एच0एम0 की सफलता हेतु पूर्ण सहयोग देने की बात कहीं जोकि सहसत्राब्दी विकास लक्ष्य (एम0डी0जी0) का अहम हिस्सा है साथ ही सबके लिए स्वास्थ्य हेतु महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पत्र की प्रतियां जागरूकता/जानकारी के उददेश्य से सभी प्रतिभागियों को दी गयी।

❖ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के श्री जितेन्द्र शंकर माथुर, आई0ए0एस0, संयुक्त सचिव के **पत्र संख्या– D.O. No. F. 11042/30/2013 – CRSP दिनांक : 12 सितम्बर, 2012** द्वारा भारत निर्माण सेवकों से ग्राम स्तर पर ''स्वच्छता दूत'' के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की गयी है।

जिस प्रकार इस मंत्रालय द्वारा 'भारत निर्माण अभियान' चलाया जा रहा है तथा जिसका उददेश्य ग्राम स्तर पर सबके लिए शौचालय की व्यवस्था होना व सभी के लिए स्वच्छता और स्थायी पेयजल आपूर्ति का होना है, इन्ही सबको सुनिश्चित करने हेतु ग्राम स्तर पर 'स्वच्छता दूत' की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में सहयोग हेतु 'भारत निर्माण सेवकों' से स्वच्छता दूत के रूप में कार्य करने

की अपेक्षा की गयी है। पत्र की प्रतियां जागरूकता/जानकारी बढ़ाने के उददेश्य से प्रतिभागियों को दी गयी।

कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि विश्वविद्यालय एवं राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के मध्य समन्वय एवं तकनीकी सशक्तीकरण हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के श्री एस0 विजय कुमार, सचिव एवं डॉ0 एस0 अयपन्न, सचिव, **DOAR&E, DG, ICAR** कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के **पत्रांक & No. J& 12039/08/2012 - Trg दिनांक : 02 अप्रैल, 2012** के द्वारा रांची, झारखण्ड के कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रयासों का उल्लेख किया गया है जिससे कृषि तकनीकी के प्रचार–प्रसार एवं फ्लैगशिप कार्यक्रमों में भारत निर्माण सेवकों द्वारा सहयोग सफलतापूर्वक किया गया है। पत्र की प्रतियां जागरूकता/जानकारी बढ़ाने के उददेश्य से प्रतिभागियों को दी गयी।

❖ **आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के समीक्षा एजेण्डा बिन्दुओं में बी0एन0वी0 प्रयास को सम्मिलित करने हेतु पत्र**

आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 के पत्रांक 714/आजीविका –लै0टू0लै0इ0/ए0मा0से0/12–13 दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 (छाया प्रति संलग्न) ,जो समस्त संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित है, में कार्यक्रम के विस्तार एवं क्रियान्वयन को अपेक्षित गति प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य, मण्डल तथा जनपद स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा बैठक के दौरान भारत निर्माण सेवकों के मोबिलाइजेशन के बिन्दुओं को भी एजेण्डा बिन्दुओं में सम्मिलित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

5. जनपदों में की गयी आई.ई.सी. गतिविधिया : एक दृष्टि में...

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित भारत निर्माण सेवक इनीसिएटिव के अन्तर्गत कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार एवं ग्राम स्तरीय सभी लाभार्थियों तक योजनाओं के पहुंच हेतु सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण (आई0ई0सी0) के अन्तर्गत निम्न गतिविधियों का आयोजन किया गया–

1) जिला स्तरीय कार्यशाला/बैठक – चयनित जिलों में भारत निर्माण सेवक इनीसिएटिव के तहत संबंधित ब्लॉक में भारत निर्माण सवकों के चयन एवं मोबिलाइजेशन हेतु जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर के लाइन डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों/कर्मचारियों, जिला विकास अधिकारियों, परियोजना निदेशकों, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, ग्राम स्तरीय कर्मिकों तथा आम जनमानस द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसके अर्न्तगत भारत निर्माण सेवक योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी एवं समग्र ग्राम विकास में सेवकों के योगदान संबंधी जानकारी प्रदान की गई।

2) ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला/बैठक – चयनित जिलों में भारत निर्माण सेवक इनीसिएटिव के तहत संबंधित ब्लॉक पर भारत निर्माण सवकों के चयन एवं मोबिलाइजेशन हेतु आचार्य/खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम प्रधान/रोजगार सेवक/आंगनवाड़ी कार्यकत्री/आशा/पंचायत मित्र/शिक्षा मित्र, ग्राम स्तरीय संगठनों के सदस्य, समुदाय के प्रबुद्ध लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया जिसके अन्तर्गत प्रतिभागियों को योजनान्तर्गत संबंधित विकास खण्ड में भारत निर्माण सेवकों के चयन एवं मोबिलाइजेशन कार्य हेतु प्रेरित एवं जागरूक किया गया।

3) ग्राम सभा/ग्राम पंचायत बैठक – चयनित ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान/आचार्य/ जिला प्रशिक्षण अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय अधिकारियों/कार्मिकों/पंचायत प्रतिनिधियों/ग्राम स्तरीय संगठनों के सदस्य/ समुदाय के प्रबुद्ध लोगों को सभी ग्राम पंचायतों में प्रमुखता के साथ भारत निर्माण सेवकों के चयन एवं मोबिलाइजेशन कार्य हेतु प्रेरित एवं जागरूक किया गया तथा बी0एन0वी0 के रूप में पंजीकृत भी किया गया।

4) जन जागरूकता अभियान – जन जागरूकता अभियान के तहत चयनित ब्लॉक/ग्राम पंचायतों में योजना से सम्बन्धित रैली एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसके द्वारा लोगों को भारत निर्माण सेवक कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई।

5) ब्रोशर/लीफलेट/संचेतना साहित्य का मुद्रण एवं वितरण – चयनित जनपदों में आयोजित विभिन्न ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तरीय गोष्ठियों/कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को ब्रोशर/लीफलेट/संचेतना साहित्य का वितरण किया गया।

6) ड्रेस का वितरण – कुछ चयनित जनपदों में भारत निर्माण सेवक संबंधी कार्यशालाओं में सेवकों, महिला एवं पुरूष, दोनों को ड्रेस उपलब्ध करायी गयी।

7) दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग – चयनित जनपदों में कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु विकास खण्ड स्तर पर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न सर्वजानिक स्थलों पर योजना के प्रचार प्रसार हेतु दीवार लेखन किये गये साथ ही बैनर, पोस्टर, होर्डिंग द्वारा योजना सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारियों को आम जनमानस के संदर्भ हेतु उपयुक्त जगह पर लगाया गया।

8) ''दीक्षा'' वेबसाइट पर बी0एन0वी0 अपलोडिंग कार्य – चयनित जनपदों में भारत निर्माण सेवकों के चयन एवं मोबिलाइजेशन के उपरान्त उनके पंजीकरण सम्बन्धी डाटा को भारत सरकार की ''दीक्षा'' वेबसाइट पर अपलोडिंग सम्बन्धी कार्य संबंधित क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के सहयोग से किया जाता है।

6. आई.ई.सी. गतिविधियों के सम्भावित परिणाम

1. लोक सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। विभिन्न सरकारी कार्यक्रम एवं योजनायें जो मुख्यतः महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास एवं कल्याणार्थ हेतु बनी है, उनमें सुधार होगा।
2. मानव विकास सूचकों यथा– प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, लिंग एवं जीवन प्रत्याशा में सुधार होगा, साथ ही शिशु एवं मातृ मृत्युदर व बाल कुपोषण में कमी होगी।
3. गरीबी को कम करने में सहायता होगी। गरीब परिवारों जिनमें मुख्यतः छोटे और सीमान्त कृषक एवं मजदूर होते हैं उन तक सरकारी अनुदान, संस्थागत वित्त इत्यादि की बेहतर पहुंच सम्भव हो सकेगी।
4. मूलभूत सुविधाओं का विकास एवं बाजार एकीकरण में सहायता होगी।
5. समृद्ध एवं सशक्त सामाजिक संस्थायें जैसे कि ग्राम सभायें, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, अनुश्रवण एवं निगरानी समिति, सामाजिक अंकेक्षण समिति आदि क्रियाशील होगी।
6. लोक सेवाओं के त्वरित होने एवं सूचना के प्रचार–प्रसार से सरकारी कार्यक्रमों के लागू होने में ज्यादा पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

7. ग्रामीण समुदाय में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा।
8. स्थानीय प्रशासन एवं पंचायती राज संस्थाओं को सहयोग प्राप्त होगा।
9. कार्यक्रमों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन एवं लोक शिकायतों का बेहतर निपटारा होगा।
10. सरकारी कार्यक्रमों का उचित रूप से सामाजिक अंकेक्षण होगा, साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर उत्पन्न विवादों के निपटारें में सहायता प्राप्त होगी।

7. बजटीय व्यवस्था

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आई.ई.सी. सेक्शन, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्रांक–No.J-11012/40/2010-IEC दिनांक 26 दिसम्बर, 2011 के द्वारा लैब–टू–लैण्ड इनीसिएटिव के अन्तर्गत भारत निर्माण सेवकों के मोबिलाइजेशन एवं आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु रू0 60.00 लाख का बजट संस्थान को उपलब्ध कराया गया था।

उक्त धनराशि का उपभोग 22 एन.आर.एल.एम. जनपदों समेत 5 अन्य इच्छुक जनपदों में सूचना, शिक्षा एवं संचार से सम्बन्धित गतिविधियों हेतु किया गया। जिसके अन्तर्गत चयनित जनपदों में जिला/खण्ड विकास/ग्राम स्तरीय कार्यशाला/बैठकें आयोजित की गयी एवं अधिकतम् लोगों तक कार्यक्रम की पहुँच सुनिश्चित हो सके, इसके लिए जनपद स्तर पर रैलियॉं, जन–जागरूकता कार्यक्रम, दीवार–लेखन, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, ब्रोशर, लीफलेट, संचेतना साहित्य का मुद्रण तथा वितरण एवं बी.एन.वी. डाटा अपलोडिंग इत्यादि के कार्य प्रमुखता के साथ किये गये।

भारत निर्माण सेवक इनीसिएटिव के अन्तर्गत आई.ई.सी. मद में प्राप्त धनराशि रू. 60 लाख का व्यय विवरण

क्र.सं.	संस्थान/संस्था का नाम	उददेश्य	धनराशि रू. में
अ.	**उ0प्र0 के चयनित क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान, स्तर पर व्यय**		
	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान– मऊ,फैजाबाद,इटावा, बदांयू, बागपत, बुलन्दशहर, लखावटी बुलन्दशहर, आगरा, लखनऊ, गोण्डा, फैजाबाद व बुलन्दशहर जिला ग्राम्य विकास संस्थान– बस्ती, बहराइच, हरदोई, जालौन, मिर्जापुर, मुज्जफरनगर, बांदा, बिजनौर, वाराणसी, देवरिया, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी अलीगढ, गोण्डा वहरदोई	आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु	**32,00,000/–**
ब.	**राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0प्र0 के स्तर पर**		
	• मेसर्स, पंचायत उद्योग, लखनऊ, उ0प्र0	आई.ई.सी. साहित्य व ड्रेस हेतु।	19,77,528/–
	• मेसर्स नीरज कम्यूनिकेशन	बी0एन0वी0 मोबिलाइजेशन विषय हेतु फिल्म निर्माण	1,56,180/–
	• डाक व्यय	विभिन्न विभागों के पत्राचार हेतु व्यय	19,775/–
	• विविध व्यय	कार्यशाला आयोजन, बैठक, इत्यादि	40,250/–
	• 2 कम्प्यूटर आपरेटर का 5 माह का मानदेय	दीक्षा वेबसाइट पर आंकड़ों की अपलोडिंग हेतु	80,000/–
	• प्रशासकीय एवं विकास मदों हेतु संस्थान पर व्यय		5,26,267/–
	कुल		**28,00,000/–**
	कुल (अ+ब)		**60,00,000/–**

8. जनपदों में आयोजित आई.ई.सी. गतिविधियां

तालिका, रेखाचित्र एवं ग्राफ द्वारा प्रदर्शन

जिला/विकास खण्ड/ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यशालाएं एवं जन संचेतना कार्यक्रम

तालिका द्वारा प्रदर्शन

भारत निर्माण सेवक इनीसिएटिव के अर्न्तगत जनपदों में की गयी आई.ई.सी. गतिविधियों का विवरण

क्र. सं.	संस्थान के नाम	क्र. सं.	प्रथम चरण में चयनित जनपद	चयनित ब्लॉक का नाम	आई.ई.सी. गतिविधियों का विवरण											
					जिला स्तरीय कार्यशाला			खण्ड स्तरीय कार्यशाला			ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यशाला			जनजागरूकता कार्यक्रम		
					कार्यशाला /बैठक सख्या	कार्यशाला/ बैठक की तिथि	प्रतिभागी सख्या	कार्यशाला /बैठक सख्या	कार्यशाला/ बैठक की तिथि	प्रतिभागी सख्या	कार्यशाला /बैठक सख्या	कार्यशाला / बैठक की तिथि	प्रतिभागी सख्या	कार्यशाला /बैठक सख्या	कार्यशाला / बैठक की तिथि	प्रतिभागी सख्या
1	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, आगरा	1	आगरा	बिचपुरी	1	19.10.12	77	1	04.02.13	55	1	05.03.13	145			
2	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, अलीगढ़	2	अलीगढ़	धानीपुर	1	01.11.12	47	1	30.10.12	103	1	06.03.13				
					1	08.03.13		1	19.03.13		1	14.03.13				
											1	16.03.13	292			
											1	18.03.13				
											1	19.03.13				
3	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, इलाहाबाद	3	इलाहाबाद	फूलपुर	1	18.07.12	20	1	?	40	1	10.04.12	60	1	10.04.12	140
											1	10.04.12	150			
											1	12.04.12	180			
4	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, मऊ	4	आज़मगढ़	अजमतगढ़				1	27.05.13	83						
5	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, फैजाबाद	5	फैजाबाद	मसौधा				1	13.09.12	58						
		6	अम्बेदकर नगर	अकबरपुर				1	06.11.12	74						
								1	07.11.12	66						
								1	01.12.12	188						
								1	14.03.12	79						
6	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, इटावा	7	इटावा	महेवा				1	13.09.12	115						
		8	औरैया	औरैया				1	14.09.12	120						

7	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बदायूं	9	बदायूं	आसफपुर	1	15.09.12	35	1	21.09.12	121						
8	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बस्ती	10	बस्ती	सउघट	1	13.08.12	64									23
																34
																57
																25
																24
9	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बांदा	11	बांदा	बांदा				1	07.02.13	108				1	05.02.13	103
														1	08.02.13	101
														1	26.02.13	105
														1	13.03.13	112
														1	14.03.13	130
														1	19.03.13	140
														1	21.03.13	82
		12	बांदा	चित्रकूट	2	09.09.12 & 10.09.12	725	1	12.02.12	115	1	10.09.11	720	1		190
								1	11.03.12	145	1	24.09.11	385	1		225
								1	20.04.12	125	1	11.04.12	423	1		879
10	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बहराइच	13	बहराइच	चित्तौरा	1	23.06.12	16	1	05.07.12	40	1	02.02.13	100			
								1	13.12.12	65						
11	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बागपत	14	बागपत	बड़ौत	1	29.06.12	10	1	05.07.12	33	1	18.03.13	138	1	13.08.12	90
								1	12.07.12	19	1	19.03.13	129	1	31.08.12	150
								1	29.11.12	107						
								1	30.11.12	79						
12	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बिजनौर	15	बिजनौर	हल्दौर	1	09.09.12	5	1	03.10.12	30	1	01.03.13	72	1	13.03.13	56
								1	06.10.12	24	1	02.03.13	75	1	16.03.13	60
								1	22.10.12	56	1	07.03.13	83	1	18.03.13	32
								1	27.10.12	28	1	08.03.13	92			
								1	21.01.13	52	1	11.03.13	75			
								1	23.01.13	50	1	12.03.13	94			

								1	24.01.13	48	1	19.03.13	69			
											1	20.03.13	94			
13	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, वाराणसी	16	चन्दौली	नियामताबाग	1	03.11.12	40	1	29.08.12	35						
					1	21.12.12	35	1	31.10.12	30						
								1	27.02.13	20						
14	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, देवरिया	17	देवरिया	देसही देवरिया				1	02.09.12	27						
								1	05.10.12	40						
								1	11.01.13	40						
								1	25.01.13	50						
								1	21.02.13	70						
								1	22.02.13	45						
15	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, हरदोई	18	हरदोई	वावन	1	20.09.12	573									
16	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, हमीरपुर	19	हमीरपुर	मौदहा				1	17.04.13	45						
17	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, जालौन	20	जालौन	जालौन				1	21.09.12	25						
18	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, खीरी	21	खीरी	लखीमपुर निघांसन				1	22.04.13	120						
19	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, मिर्जापुर	22	सोनभद्र	सिटी नगर	1	06.10.12	12	1	31.10.12	171						
					1	10.12.12	71									
		23	सोनभद्र	रार्बटगंज				1	04.04.12	124						
20	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, मुजफ्फरनगर	24	मुजफ्फरनगर	जानसठ	1	13.09.12	200	1	21.09.12	60	1					
					1	13.09.12	200									
											1	25.09.12				
					1	13.09.12	200				1	26.09.12	140			
											1	28.09.12				
21	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, गोण्डा	25	गोण्डा	झंझरी	1	21.03.13	70	1	19.09.12	140						

								1	15.03.12	81						
22	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बुलन्दशहर	26	बुलन्दशहर	सिकन्द्राबाद	1	25.12.12	399	1	09.01.13	60				1		300
23	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, लखावटी	27	बुलन्दशहर	लखावटी	1	25.12.12	412	1	23.01.13	60				1		800
														1		600
24	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ	28	लखनऊ	बी0के0टी0	1	11.10.12	25	1	13.03.13	122						
								1	18.03.13	97						
								1	19.03.13	56						
								1	22.03.13	126						
								1	20.04.13	31						
								1	24.04.13	73						
					23	**0**	**3236**	**55**	**0**	**3974**	**27**	**0**	**3516**	**19**	**0**	**4458**

कुल आयोजित सत्रों की संख्या - 124

कुल प्रतिभागियों की संख्या - 15184

जनपद स्तर पर की गयी आई.ई.सी. गतिविधियां

1. भारत निर्माण सेवक कार्यक्रम हेतु चयनित जनपद

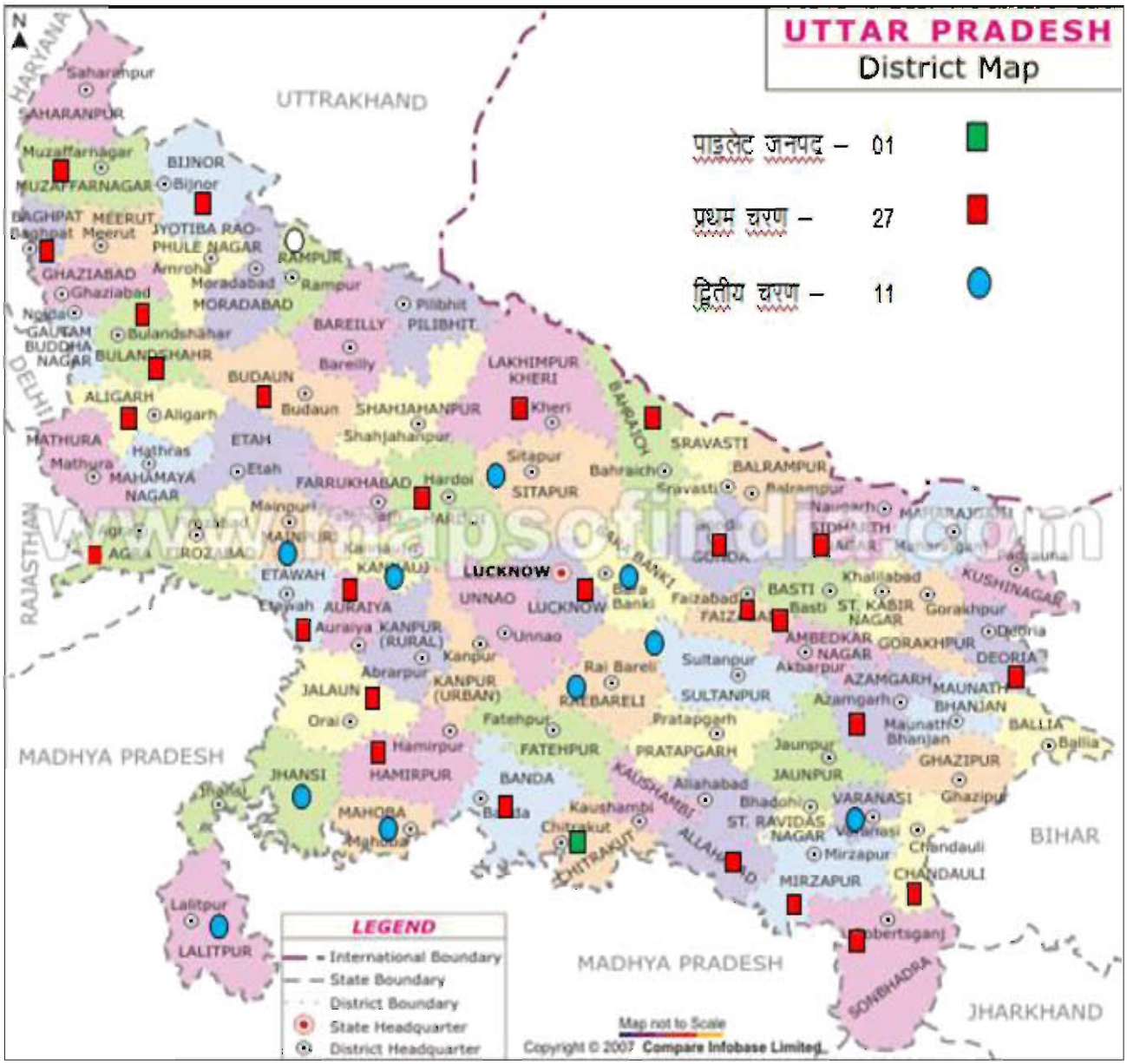

2. जनपद स्तर पर आई.ई.सी. गतिविधियों के परिणाम स्वरूप भारत निर्माण सेवकों की संख्या

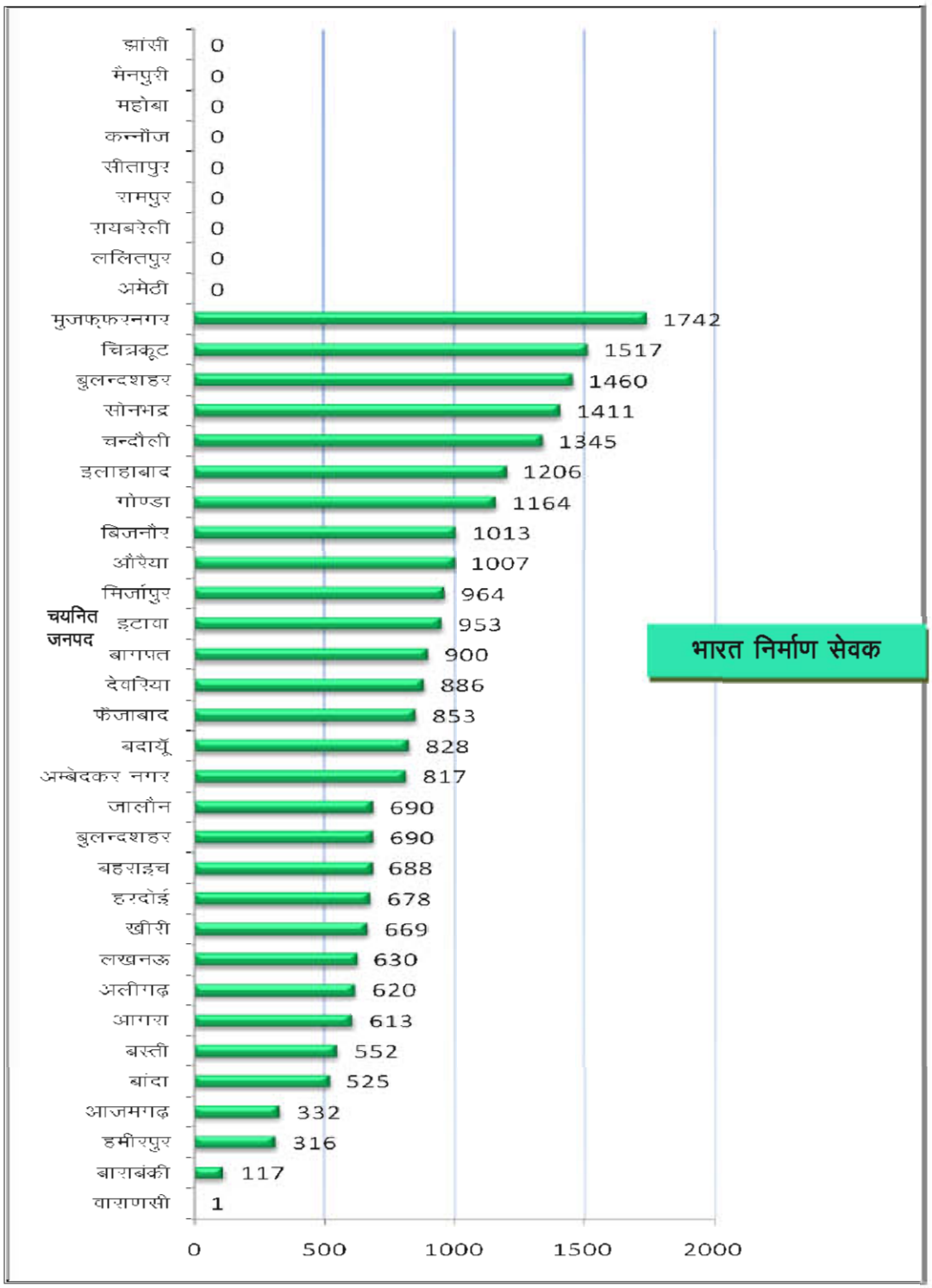

कुल चयनित भारत निर्माण सेवकों की संख्या– 25187

3. जनपद स्तर पर आई.ई.सी. गतिविधियों के अर्न्तगत जिला/विकास खण्ड/ग्राम पंचायत स्तरीय बैठक एवं जन जागरूकता अभियान के आयोजित सत्रों की संख्या

क. कुल आयोजित सत्रों की संख्या ग्राफ द्वारा प्रदर्शन

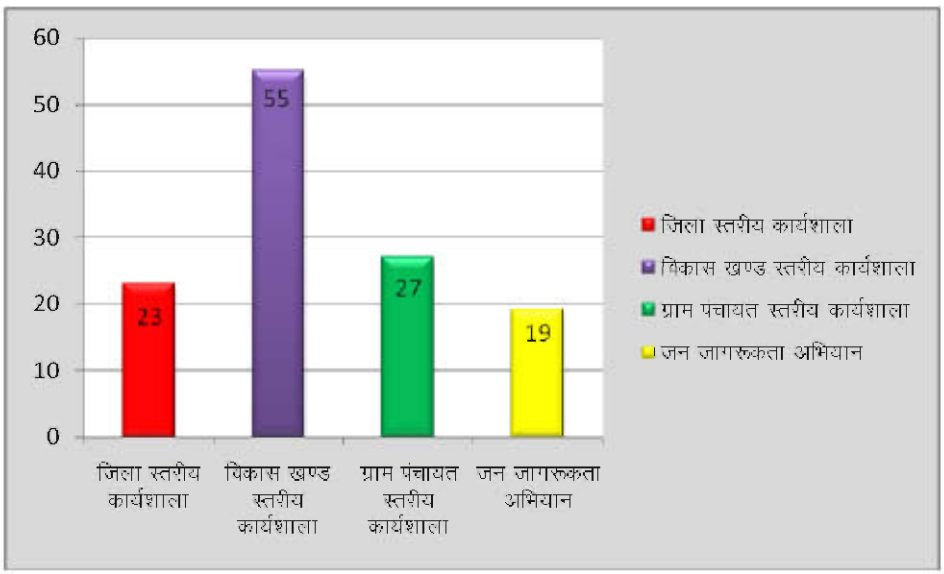

ख. कुल आयोजित सत्रों की सख्या पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शन

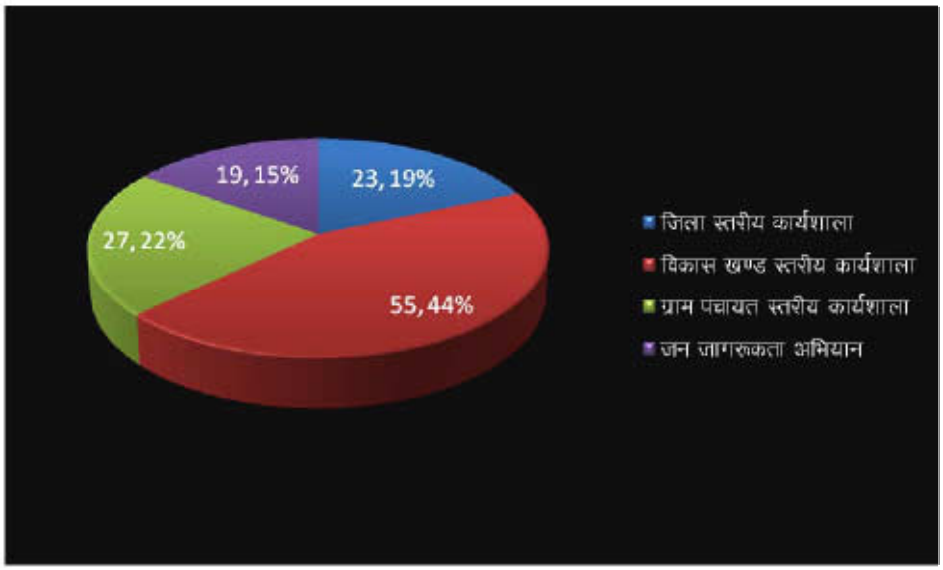

कुल आयोजित सत्रों की संख्या– 124

4. जनपद स्तर पर आई.ई.सी. गतिविधियों के अर्न्तगत जिला/विकास खण्ड/ग्राम पंचायत स्तरीय बैठक एवं जन जागरूकता अभियान के आयोजित सत्रों में प्रतिभागियों की संख्या

क. कुल आयोजित सत्रों में प्रतिभागियों की संख्या ग्राफ द्वारा प्रदर्शन

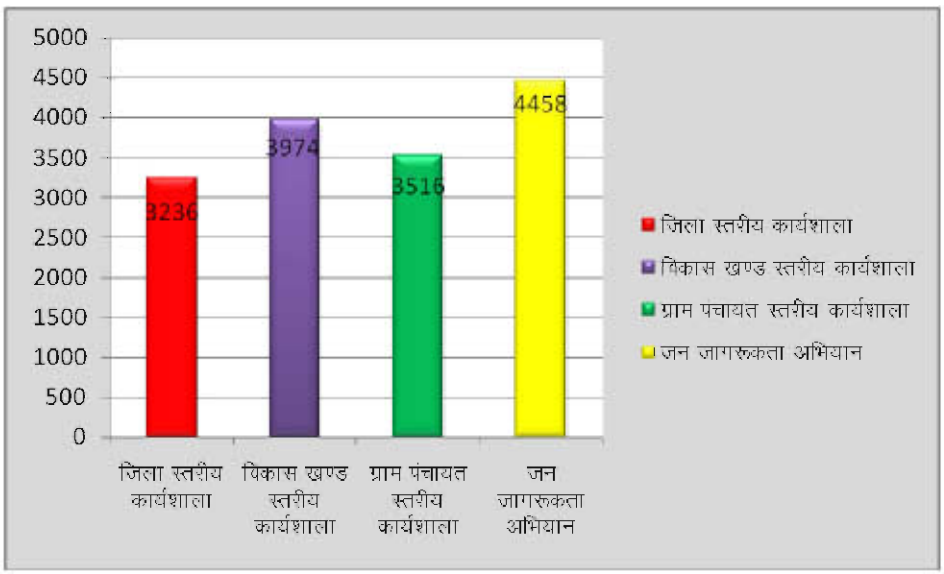

ख. कुल आयोजित सत्रों में प्रतिभागियों की संख्या पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शन

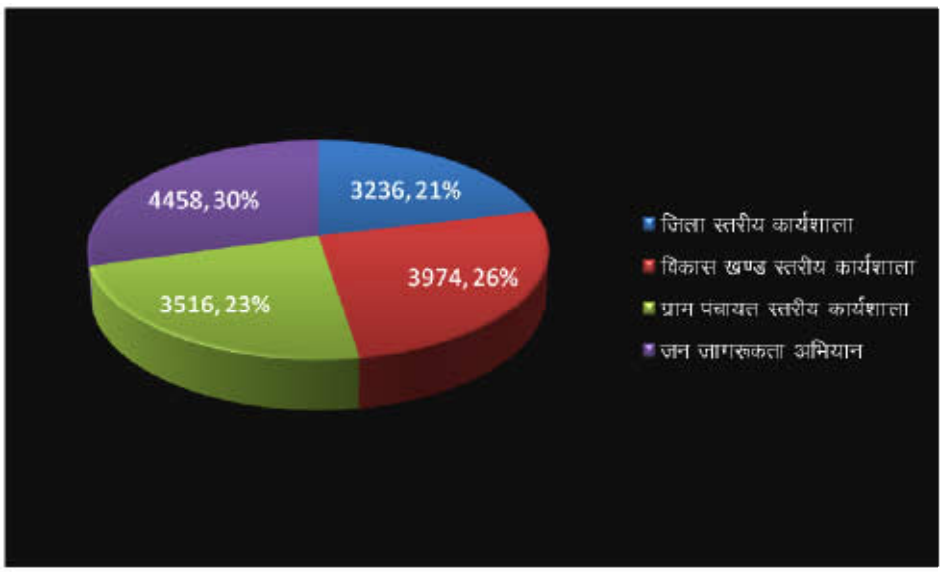

कुल आयोजित सत्रों में प्रतिभागियों की कुल संख्या– 15184

जनपदों में आयोजित आई.ई.सी. गतिविधियां

कैमरे की दृष्टि से...

जनपद– आगरा

जनपद स्तरीय कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए डॉ0 रूपेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी उनके दाहिने बैठे आचार्य तथा बायें जिला विकास अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र एवं प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी श्री संत प्रकाश

कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागी गण

कायशाला को सम्बोधित करते हुए वार्ताकार डॉ0 यू0सी0 भारद्वाज

कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागी गणों को सम्बोधित करते आचार्य श्री अनूप कुमार

ग्राम लड़ामदा में प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए डॉ यू0सी0 भारद्वाज, दाहिने बैठे आचार्य एवं बायें पूर्व ग्राम प्रधान लड़ामदा

कार्यशाला में उपस्थित भारत निर्माण सेवक एवं अन्य प्रतिभागी गण

जनपद– अलीगढ़

जिला स्तरीय बैठक विकास भवन अलीगढ़ में उपस्थित प्रतिभागी गण

ब्लाक स्तरीय बैठक घनीपुर, अलीगढ़ को सम्बोधित करते कार्यक्रम समन्वयक श्री नरेन्द्र पाल सिंह

पंचायत घर जाटव पर प्रतिभागियों को कार्यक्रम संबंधी जानकारी देते हुए श्री नरेन्द्र पाल सिंह

प्राथमिक विद्यालय अदौन में कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

ग्राम स्तरीय बैठक में उपस्थित प्रतिभागीगण

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनैठी

प्राथमिक विद्यालय बोनेर में कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

प्राथमिक विद्यालय नरेन्द्र गढ़ी में कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

प्राथमिक विद्यालय खानगढ़ी में कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

प्राथमिक विद्यालय मई में कार्यक्रम संबधी दीवार लेखन

जनपद– इलाहाबाद

ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागी गणों को सम्बोधित करते जिला प्रशिक्षण अधिकारी, इलाहाबाद

विकास खण्ड फूलपुर, ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागी गण

जनपद– फैजाबाद

विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित – आचार्य एवं अतिथि वार्ताकार

एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला में आचार्य एवं अन्य अतिथि वार्ताकार

दिनांक 01.12.12 को आयोजित एक दिवसीय संचेतना कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागी गण

दिनांक 07.11.12 को आयोजित एक दिवसीय संचेतना कार्यशाला में वार्ता देते हुए अतिथि वार्ताकार

जनपद– इटावा

विकास खण्ड महेवा में आयोजित विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागीगणों को सम्बोधित करते हुए आचार्य

विकास खण्ड महेवा में आयोजित विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागीगणों
को सम्बोधित करते हुए अतिथि वार्ताकार

दिनांक 14.09.2012 में विकास खण्ड अजीतमल– औरैया में आयोजित विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागीगणों को संबोधित करते हुए वार्ताकार

कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागीगण

जनपद– बंदायू

दिनांक 15.09.12 को आयोजित जिला स्तरीय बैठक को सम्बोधित करते हुए आचार्य रवीन्द्र सिंह

दिनांक 21.09.12 को आयोजित विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागीगण

दिनांक 21.09.12 को आयोजित विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला में साहित्य पढ़ते हुए प्रतिभागीगण

दिनांक 21.09.12 को आसफपुर में आयोजित विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागीगण

जनपद– बस्ती

ग्राम परासडीह में आयोजित विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागीगणों को सम्बोधित करते हुए वार्ताकार

ग्राम पैकोलिया में आयोजित विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागीगणों को सम्बोधित करते वार्ताकार

ग्राम मुडिलवा में योजना संबंधी दीवार लेखन

ग्राम मुडिलवा में योजना संबंधी जानकारी प्रदान करते वार्ताकार

जनपद– बांदा एवं चित्रकूट

दिनांक 05.02.13 को ग्राम पंचायत छनेहरा लालपुर में आयोजित एक दिवसीय जागरूकता रैली

दिनांक 07.02.13 को आयोजित विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला में वार्ता प्रदान करते हुए जिला प्रशिक्षण अधिकारी श्री कमल किशोर कमल, वरिष्ठ प्रशिक्षक एवं अन्य

दिनांक 07.02.13 को आयोजित विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागीगण

दिनांक 08.02.13 को ग्राम पंचायत मरौली में आयोजित एक दिवसीय जागरूकता रैली

दिनांक 14.03.13 को ग्राम पंचायत मौदहा में आयोजित एक दिवसीय जागरूकता रैली

दिनांक 14.03.13 को ग्राम पंचायत मौदहा में आयोजित एक दिवसीय ग्राम स्तरीय विचार गोष्ठी में वार्ता प्रदान करते हुए जिला प्रशिक्षण अधिकारी एवं अतिथि वार्ताकार श्रीमती किरण जैन

कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

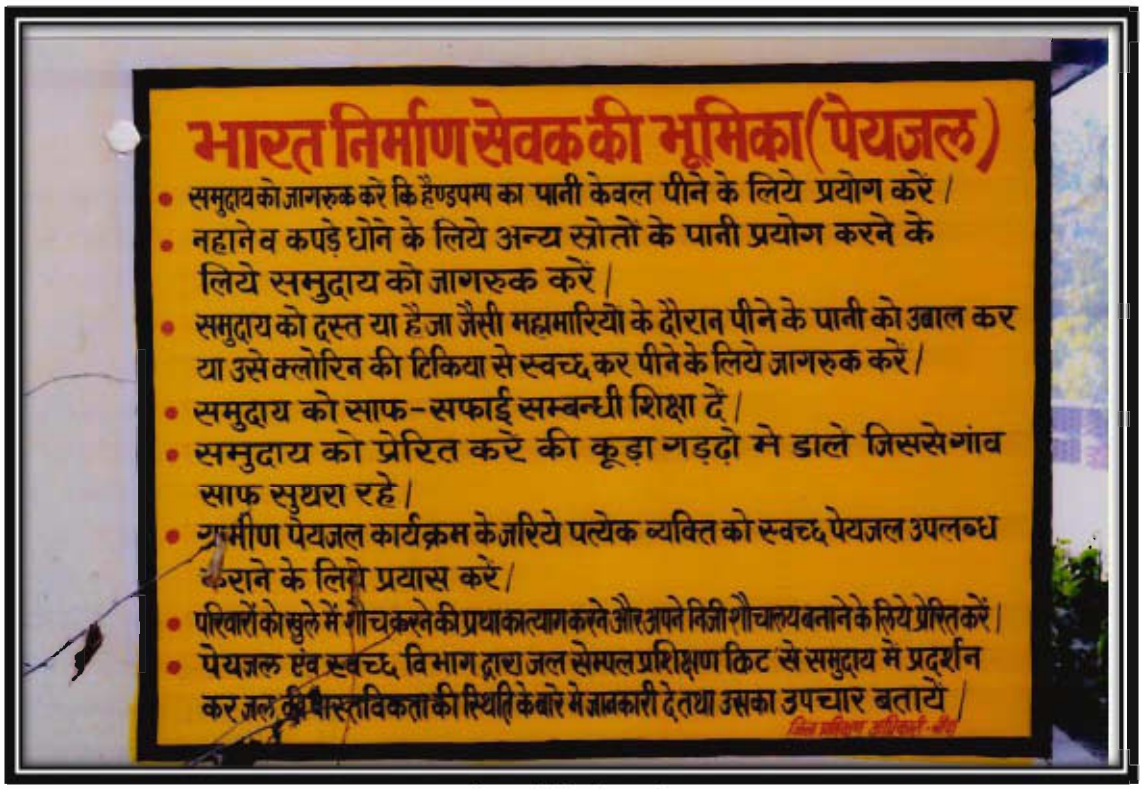

कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

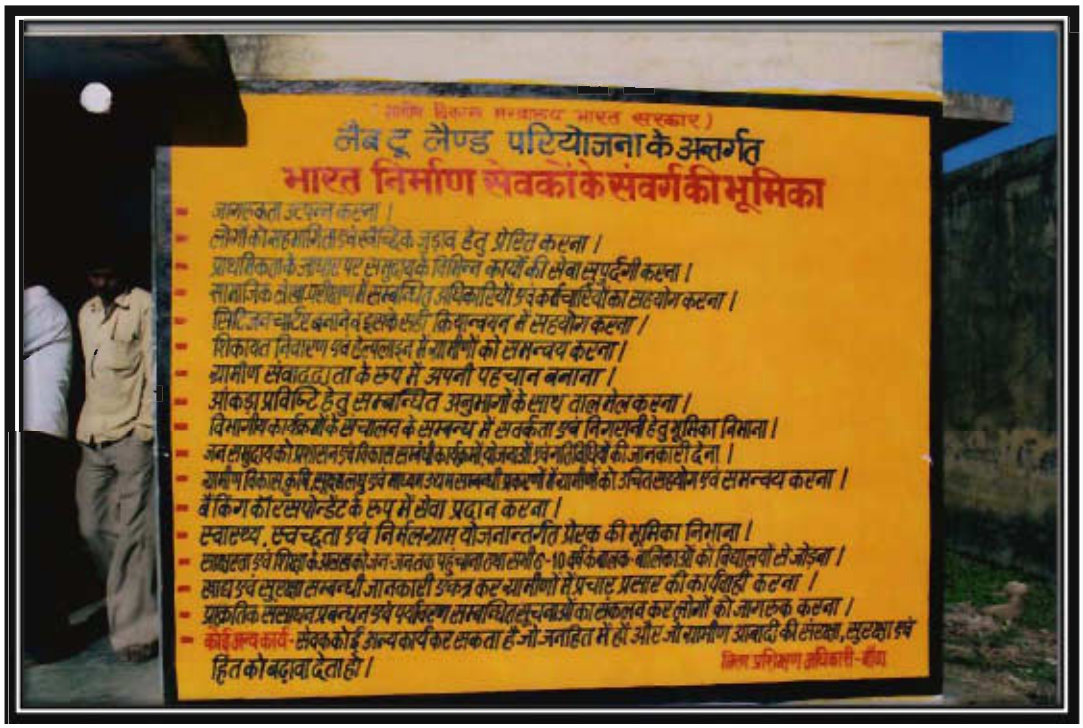

कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

जनपद– बहराइच

दिनांक 13.12.12 को विकास खण्ड चित्तौरा में आयोजित खण्ड स्तरीय संचेतना कार्यशाला

दिनांक 13.12.12 को विकास खण्ड चित्तौरा में आयोजित खण्ड स्तरीय संचेतना कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए वार्ताकार

दिनांक 13.12.12 को विकास खण्ड चित्तौरा में आयोजित खण्ड स्तरीय संचेतना कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागीगण

दिनांक 02.02.13 को ग्राम पंचायत स्तरीय संचेतना कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए
श्री राम लखन, जिला प्रशिक्षण अधिकारी

कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

जनपद– बागपत

दिनांक 29.11.12 को विकास खण्ड बिनौली में आयोजित एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला उपस्थित आचार्य, खण्ड विकास अधिकारी, अन्य ग्राम स्तरीय अधिकारी व प्रतिभागीगण

दिनांक 18.03.13 को ग्राम दाहा विकास खण्ड बिनौली में आयोजित एक दिवसीय संचेतना कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागीगण

दिनांक 18.03.13 को ग्राम दाहा विकास खण्ड बिनौली में आयोजित एक दिवसीय संचेतना गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए आचार्य श्री एन0एस0 राठी

दिनांक 18.03.13 को ग्राम दाहा विकास खण्ड बिनौली में आयोजित एक दिवसीय संचेतना गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए कार्यक्रम समन्वयक डॉ0 अर्चना कुमारी

कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

जनपद– बिजनौर

दिनांक 03.10.12 को आयोजित विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए वार्ताकार

दिनांक 13.03.13 को आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए वार्ताकार

दिनांक 16.03.13 को आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए वार्ताकार

दिनांक 19.03.13 को आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए वार्ताकार

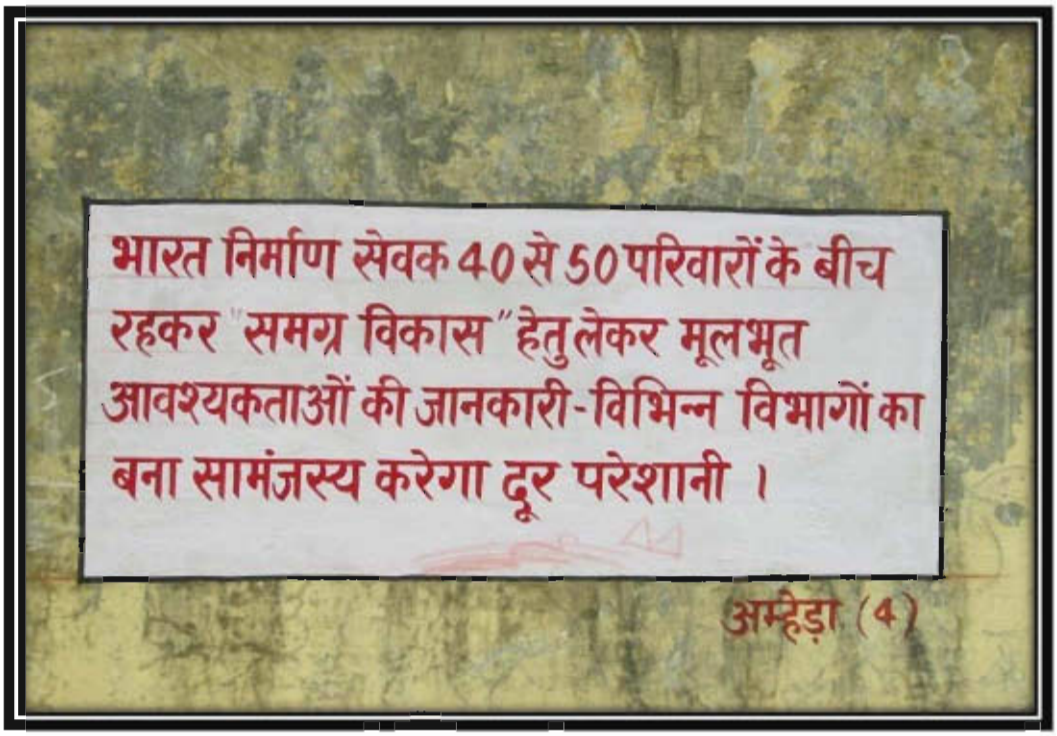

कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

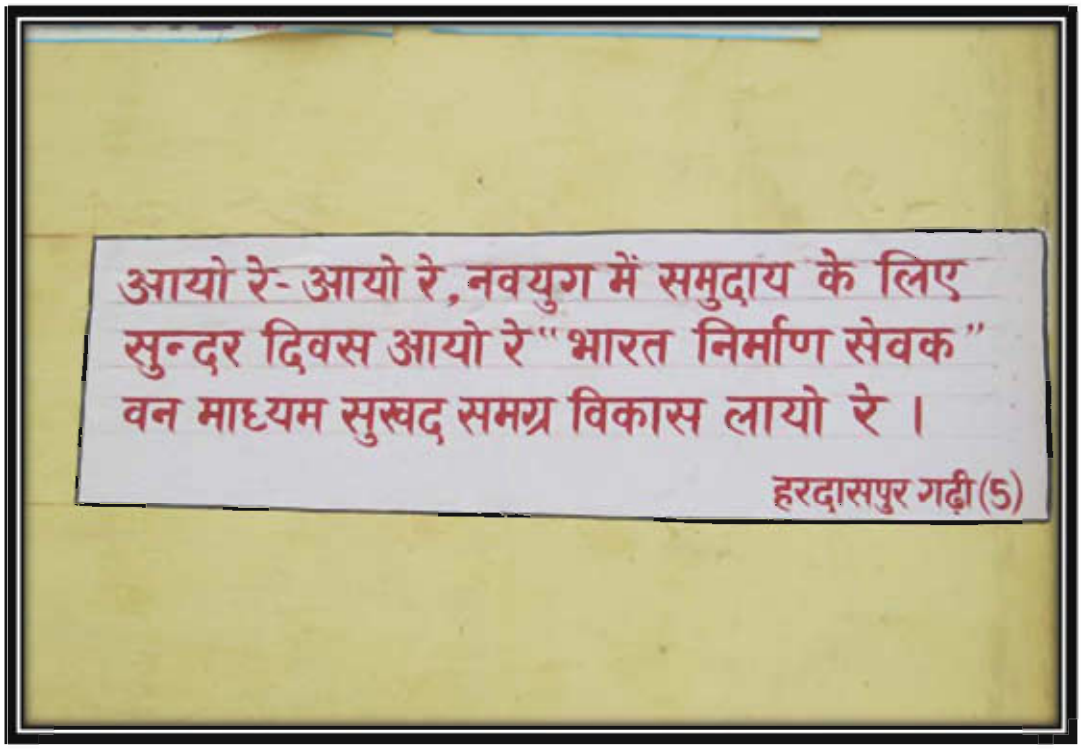

कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

जनपद– चन्दौली

विकास खण्ड चन्दौली– सदर म कार्यक्रम संबंधी बैनर का प्रदर्शन

विकास खण्ड बरहनी में कार्यक्रम संबंधी बैनर का प्रदर्शन

विकास खण्ड शाहबगंज में कार्यक्रम संबंधी बैनर का प्रदर्शन

विकास खण्ड सकलडीहा में कार्यक्रम संबंधी बैनर का प्रदर्शन

विकास खण्ड नौगढ़ में कार्यक्रम संबंधी बैनर का प्रदशन

विकास खण्ड धानापुर में कार्यक्रम संबंधी बैनर का प्रदर्शन

विकास खण्ड चकिया में कार्यक्रम संबंधी बैनर का प्रदर्शन

विकास भवन चन्दौली में कार्यक्रम संबंधी बैनर का प्रदर्शन

जनपद– देवरिया

दिनांक 02.09.12 को आयोजित विकास खण्ड स्तरीय एक दिवसोय संचेतना कार्यक्रम वार्ता प्रदान करते हुए वार्ताकार एव उपस्थित प्रतिभागीगण

दिनांक 05.10.12 को बरहज मे आयोजित विकास खण्ड स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला में श्री अरविन्द लाल श्रीवास्तव एवं श्री अखिलेश तिवारी वार्ता देते

जनपद– हरदोई

दिनांक 20.09.2012 को जिला स्तरीय संचेतना कार्यशाला में प्रतिभागियो का पंजीकरण का दृश्य

जिला स्तरीय संचेतना कार्यशाला में दीप प्रज्जवलित करते हुये अतिथि वार्ताकार डॉ0 ओ0पी0 पाण्डेय एवं अन्य अधिकारीगण

दिनांक 20.09.2012 को जिला स्तरीय संचेतना कार्यशाला में उपस्थित अतिथि वार्ताकार डॉ0 ओ0पी0 पाण्डेय एवं अन्य अधिकारीगण

दिनांक 20.09.2012 को जिला स्तरीय संचेतना कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागीगण

जनपद– हमीरपुर

दिनांक 17.04.2013 को विकास खण्ड मौदहा में आयोजित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते वार्ताकार एवं जिला प्रशिक्षण अधिकारी

एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागीगण

भारत निर्माण सेवक कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

भारत निर्माण सेवक कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

जनपद– जालौन

दिनांक 20.05.2013 को आयोजित एक दिवसीय संचेतना कार्यक्रम में विचार रखते हुये
डॉ0 रमेश कुमार, जिला प्रशिक्षण अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण

दिनांक 22.05.2013 को आयोजित एक दिवसीय संचेतना कार्यक्रम में विचार रखते हुये
डॉ0 रमेश कुमार, जिला प्रशिक्षण अधिकारी

दिनांक 22.05.2013 को आयोजित एक दिवसीय संचेतना कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुये अतिथि वार्ताकार

दिनांक 22.05.2013 को आयोजित एक दिवसीय संचेतना कार्यक्रम में प्रतिभागियों के समक्ष विचार रखते हुये वार्ताकार

जनपद– लखीमपुर खीरी

दिनांक 22.04.2013 को आयोजित एक दिवसीय संचेतना कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में प्रतिभागियों को कार्यक्रम संबंधी जानकारी देते हुये श्री अनुज कुमार श्रीवास्तव, जिला प्रशिक्षण अधिकारी

दिनांक 22.04.2013 को आयोजित एक दिवसीय संचेतना कार्यशाला में प्रतिभागियों को कार्यक्रम संबंधी जानकारी देते हुये श्री अनुज कुमार श्रीवास्तव, जिला प्रशिक्षण अधिकारी

भारत निर्माण सेवक कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

भारत निर्माण सेवक कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

भारत निर्माण सेवक कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

भारत निर्माण सवक कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन

प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम संबंधी जानकारी देते हुये कार्यक्रम समन्वयक

ग्राम स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागीगण

जनपद– मिर्जापुर

भारत निर्माण सेवक कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय बैठक में डा0 ए0के0 सिंह, जिला प्रशिक्षण अधिकारी, मीरजापुर अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए

भारत निर्माण सेवक कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिभागी आ□गनवाड़ी कार्यकत्रियों को वार्ता देते हुए संस्थान के श्री आर0के0 शुक्ला, प्रदर्शक

कायशाला में चिडेड फिल्म का प्रदर्शन

भारत निर्माण सेवक कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिभागी आगनवाड़ी कार्यकत्रियों को ग्राम प्रधान/भारत निर्माण सेवक विभा बिन्द वार्ता देते हुए

जनपद–मुजफ्फरनगर

दिनांक 21.09.2012 को आयोजित विकास खण्ड स्तरीय संचेतना कार्यशाला में प्रतिभागियों को कार्यक्रम संबंधी जानकारी देते हुये डॉ0 सौरभ राजपूत, जिला प्रशिक्षण अधिकारी

दिनांक 21.09.2012 को आयोजित विकास खण्ड स्तरीय संचेतना कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागीगण

जनपद– गोण्डा

दिनांक 19.09.2012 को आयोजित विकास खण्ड स्तरीय संचेतना कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को पॉवर प्वांइट के माध्य म से कार्यक्रम संबंधी जानकारी प्रदान करते हुये डॉ0 बडे लाल, जिला प्रशिक्षण अधिकारी

दिनांक 15.03.2013 को आयोजित विकास खण्ड स्तरीय संचेतना कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को कार्यक्रम संबंधी जानकारी प्रदान करते हुये खण्ड विकास अधिकारी

दिनांक 19.09.2012 को आयोजित जिला स्तरीय संचेतना कार्यशाला में प्रतिभागियों को वितरित साहित्य का अवलोकन करती हुई डॉ0 रोशन जैकब, जिलाधिकारी, गोण्डा

जिला स्तरीय संचेतना कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करती हुई डॉ0 रोशन जैकब, जिलाधिकारी, गोण्डा

जनपद– बुलन्दशहर एंव लखावटी

दिनांक 25.12.2012 को आयोजित एक दिवसीय संचेतना कार्यशाला

दिनांक 25.12.2012 को आयोजित एक दिवसीय संचेतना कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं श्री विनोद कुमार मिश्रा, आचार्य

एक दिवसीय संचेतना कार्यशाला में डॉ0 ओ0पी0 पाण्डेय, संयुक्त निदेशक का स्वागत करते हुए
श्री सहन्सर पाल सिंह, आचार्य, बुलन्दशहर

एक दिवसीय संचेतना कार्यशाला का अवलोकन करते हुए डॉ0 ओ0पी0 पाण्डेय एवं अन्य अधिकारीगण

कार्यक्रम के दौरान योजनाओं संबंधी स्टालों का निरीक्षण करते हुए अधिकारीगण

कार्यक्रम के दौरान प्रमाण पत्र का वितरण

जनपद– लखनऊ

दिनांक 22.03.2013 को आयोजित विकास खण्ड स्तरीय संचेतना कार्यशाला में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुये वरिष्ठ प्रशिक्षक, श्री लाल चन्द

दिनांक 22.03.2013 को आयोजित विकास खण्ड स्तरीय संचेतना कार्यशाला में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुये डॉ0 उदय भान सिंह, आचार्य, दायें वरिष्ठ प्रशिक्षक, श्री लाल चन्द एवं श्री आर0 के0 श्रीवास्तव

दिनांक 24.04.2013 को आयोजित विकास खण्ड स्तरीय संचेतना कार्यशाला में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ प्रशिक्षक, श्री लाल चन्द एवं डॉ0 राज किशोर व अन्य अधिकारी

दिनांक 24.04.2013 को आयोजित विकास खण्ड स्तरीय संचेतना कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागीगण

विकास खण्ड स्तरीय संचेतना कार्यशाला में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए वरिष्ठ प्रशिक्षक, श्री लाल चन्द्र

प्रशिक्षण कक्ष के बाहर प्रर्दशित भारत निर्माण सेवक संबंधी बैनर

जनपदों में आयोजित आई.ई.सी. गतिविधियां

मीडिया के विचार एक दृष्टि म...

राष्ट्रीय सहारा, गोण्डा 20 सितम्बर 2012 गुरूवार

P-15

P-12 एंजेलिना जोली मानवीय कार्यों के लिए सम्मानित

ईस्ट इंडिया कंपनी से बदतर है यह सरकार P-11

सोना ₹ 32,300 चांदी ₹ 60,600

www.samaylive.com

राष्ट्रीय सहारा

साइना ने किया 40 करोड़ का अनुबंध P-14

लखनऊ | बृहस्पतिवार | 20 सितम्बर | 2012

www.samaylive.com

गोण्डा

लखनऊ | बृहस्पतिवार

भारत निर्माण सेवक देंगे योजनाओं की जानकारी

गोण्डा (एसएनबी)। केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध कराकर उन्हें सार्थक बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय गांव में भारत निर्माण सेवकों की फौज तैनात करेगा।

यह स्वयं सेवक गांव में गोष्ठियों व अन्य माध्यमों से लोगों को विभिन्न जरूरी जानकारियां उपलब्ध करायेंगे। भारत निर्माण सेवक कार्यक्रम की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से वर्ष 2010 में की गयी है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव नितिन चन्द्रा की इस कार्यक्रम पर [illegible] है। भारत निर्माण सेवक की नियुक्ति के पीछे ग्रामीण विकास मंत्रालय की मंशा है कि यह स्वयं सेवक निःशुल्क रूप से गांवों में जाकर विभिन्न विभागों के साथ लोगों के बीच समन्वय और सहयोग की भावना विकसित करें। यह सेवक लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तथा ग्रामीण विकास, कृषि, पशु धन विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, आधारभूत सुविधाओं तथा पर्यावरणीय सुरक्षा जैसे कार्यक्रमों को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे तथा सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का फीडबैक लेकर उन्हें सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गुणवत्ता पूर्वक सुधार लाने का प्रयास करेंगे।

▶ कार्यशाला में दी गयी जानकारी

राष्ट्रीय ग्राम्य विकास संस्थान कार्यों का क्षेत्रीय लखनऊ के मार्केटिंग एस.एन.राय के मार्ग निर्देशन में यह कार्यक्रम [illegible] से चलाया जा रहा है। जिले में इसके तहत सबसे पहले झंझरी विकास खण्ड के गांवों में निर्माण सेवकों की नियुक्ति किया जायेगा। 10 से 40 परिवारों के बीच एक भारत निर्माण सेवक की नियुक्ति कर उनको प्रशिक्षित किया जायेगा।

बाद में जिले के अन्य विकास खण्डों में भारत निर्माण सेवकों की नियुक्ति की जायेगी। बुधवार को झंझरी विकास खण्ड के प्रशिक्षण सभागार में इसको लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गयी। जिसमें जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉ. बी.एल. मौर्य के अलावा कार्यक्रम प्रभारी विकास मिश्र आदि उपस्थित लोगों को योजना की जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान प्रधान संघ के अध्यक्ष [illegible] पाण्डेय, प्रधान अरविंद [illegible] शुक्ला, शिवशंकर तिवारी, विष्णु दत्त सिंह [illegible] आदि लोग उपस्थित थे।

ये बन सकते हैं भारत निर्माण सेवक

- ग्रामीण परिवार के इच्छुक सदस्य
- स्वयं सहायता समूह के सदस्य
- सर्व शिक्षा अभियान के प्रेरक, शिक्षामित्र
- आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा, एएनएम
- ग्राम स्तरीय समितियों के सदस्य
- सीएसओ एवं सोशल आडीटर्स
- बीडीसी एवं ग्राम पंचायत सदस्य
- किसान मित्र, पशु मित्र
- समुदाय आधारित संगठनों के सदस्य

कार्यशाला में लोगों को सम्बोधित करते जिला प्रशिक्षण अधिकारी बी.एल. मौर्य व अन्य। फोटो : एसएनबी

हिन्दुस्तान, गोण्डा 20 सितम्बर 2012 गुरूवार

हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नजरिया
www.livehindustan.com
गोण्डा
जिला परिषद गोंडा पंचायत नामक समाचार पत्र का प्रकाश

गांवों में तैनात होंगे भारत निर्माण सेवक, जनता को योजनाओं का दिलाएंगे लाभ

गांव का विकास कराएंगे सेवक

गोण्डा | हिन्दुस्तान संवाद

अब गांवों का विकास भारत निर्माण सेवक के हाथों होगा। भारत निर्माण सेवकों की भूमिका स्वयं सेवकों की तरह ही होगी। जो सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताएंगे और उसका क्रियान्वयन भी गांवों में कराएंगे। भारत निर्माण सेवकों की तैनाती जिले में जल्द ही होने जा रही है। इनका चयन ब्लाक स्तरीय अफसर करेंगे। इसको लेकर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जिला प्रशिक्षण संस्थान झंझरी में किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉ. बड़े लाल ने कहा कि योजना की शुरुआत वर्ष 2010 में ही की गई थी। अब इसके विस्तार की बारी है। उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास संस्था के महानिदेशक व वरिष्ठ आईएएस रवि व्यक्तिगत रूचि लेकर योजना के लागू कराने में कटिबद्ध हैं। कार्यक्रम प्रभारी विकास मित्र ने कहा कि भारत निर्माण सेवकों की नियुक्ति के बाद गांवों में योजनाओं का संचालन करना और भी आसान हो जाएगा। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जमीनी हकीकत में लाने एवं मूर्त रूप देने तथा आम जनमानस की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति वे लोगों को जागरूक करेंगे। ग्राम सभा व लोगों की आवश्यकताओं का पता लगाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर होगी। सामाजिक लेखा परीक्षा, ग्रामीण संवाददाता, आंकड़ा प्रविष्टि, जनगणना, बैंकिंग, प्रचार, स्वयं सहायता समूह, साक्षरता एवं शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं पर्यावरण, स्थिरता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, निर्मल ग्राम आदि कार्यक्रमों को गतिशील किया जाएगा। भारत निर्माण सेवकों के नियुक्ति के लिए ब्लाक को जिम्मेदार बनाया गया है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम एक तिहाई महिलाएं सेवक बन सकेंगी। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग को चयन में वरीयता दी जाएगी। चयन के बाद भारत निर्माण सेवक जीवन पर्यन्त अपनी सेवा दे सकेंगे। इन्हें तीन दिवसीय प्रशिक्षण किया जाएगा। इसके बाद जरूरत के मुताबिक समय-समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। सेवकों को अपने कार्यों की डायरी बनानी होगी। जिसका मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन में सही ग्रेड मिलने पर बेहतर सेवक को स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस पर पुरस्कार दिया जाएगा।

ग्राम विकास संस्थान में प्रशिक्षण का उद्घाटन करते मुख्य अतिथि • हिन्दुस्तान

कौन लोग होंगे पात्र

ग्रामीण परिवार के इच्छुक सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, सर्व शिक्षा अभियान के प्रेरक, शिक्षामित्र, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा, एएनएम, गांव स्तरीय समितियों के सदस्य, बीएससी एवं सोशल आडीटर्स, बीडीसी एवं ग्राम पंचायत सदस्य, किसान मित्र, पशु मित्र, समुदाय आधारित संगठनों के सदस्य होंगे।

अमर उजाला, गोण्डा 20 सितम्बर 2012 गुरूवार

अमर उजाला

विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया

गोंडा। भारत निर्माण सेवक चयन प्रक्रिया के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिसमें जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉ. बड़ेलाल ने भारत निर्माण सेवक के उद्देश्य की जानकारी दी। झंझरी ब्लाक सभागार में बुधवार को आयोजित कार्यशाला में उन्होंने बताया कि भारत निर्माण सेवक विभिन्न योजनाओं के संचालन में सहयोग करेंगे। इस मौके पर विकास मिश्र, एएन शर्मा आदि मौजूद रहे।

दैनिक जागरण, गोण्डा 20 सितम्बर 2012 गुरूवार

वर्ष 33 अंक 209
पृष्ठ 16
लखनऊ, गुरुवार
20 सितंबर, 2012
नगर संस्करण
मूल्य ₹ 1.00

दैनिक जागरण

साइना ने किया 40 करोड़ का करार 16
अन्ना ने केजरीवाल से तोड़ा नाता 17

योजनाओं का लाभ दिलाएंगे बीएनएस

जागरण कार्यालय, गोंडा : जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ जरूरतमंद को दिलाने में बीएनएस (भारत निर्माण सेवक) की महती भूमिका होगी। इन्हें योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए कार्य करना होगा। ये बातें बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भारत निर्माण सेवकों की उपयोगिता पर झंझरी में आयोजित गोष्ठी में जिला प्रशिक्षण अधिकारी बड़े लाल ने कही।

उन्होंने कहा कि भारत निर्माण सेवक की तैनाती हर गांव में होनी है। इनकी तैनाती में सभी वर्गों को तरजीह दी जानी है। इनमें महिलाएं, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यकों को महत्व दिया जाएगा। ये बीएनएस सरकारी कार्यक्रमों का लाभ ग्रामीण परिवारों को दिलाएंगे। लोगों को जागरूक बनाकर राष्ट्र निर्माण की सोच विकसित की जाएगी। लोगों में नेतृत्व की क्षमता विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। सरकारी मशीनरी में सिटीजन चार्टर लागू कराने में बीएनएस मदद करेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के महानिदेशक एनएस रवि की प्राथमिकता है कि चयनित ब्लॉकों में बीएनएस की तैनाती इसी माह में कर ली जाए।

झंझरी में आयोजित गोष्ठी में शामिल किसान जागरण

उन्होंने कहा कि 30-40 परिवारों पर एक बीएनएस की तैनाती की जानी है। ग्राम पंचायत के पास आवेदन पत्र जमा किया जाएगा। ये कार्यकर्ता गांव स्तर पर आम लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। संचालन कार्यक्रम प्रभारी विकास मिश्र ने किया। अन्य वक्ताओं में प्रधान शिवशंकर तिवारी,शिव बहादुर पांडेय, नरसिंह नारायण शुक्ल, संतराम व खलील अहमद शामिल रहे।

हिन्दुस्तान, हरदोई 21 सितम्बर 2012 शुक्रवार

योजनाएं बताने को भारत निर्माण सेवक की नियुक्ति

हरदोई । केन्द्र की योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी अब घर घर जाकर भारत निर्माण सेवक देंगे। यह जानकारी गांधी भवन में आयोजित कार्यशाला में राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के संयुक्त निदेशक ने दी।

गुरुवार को गांधी भवन में संचेतना कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए संयुक्त निदेशक डॉ. ओपी पाण्डेय ने बताया कि भारत सरकार की योजना के अनुसार कि हर गांव में 10 से 40 परिवारों पर एक भारत निर्माण सेवक की नियुक्ति की जाएगी। जो घर-घर भारत सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। श्री पाण्डेय ने कहा कि गांव का प्रधान, सेक्रेटरी, आंगनबाड़ी कार्यकत्री व आशा बहुएं गांव के विकास की धुरी होते है। उन्होंने कहा कि भारत निर्माण सेवक विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। भारत निर्माण सेवकों की नियुक्ति जिला, ब्लाक स्तर पर संबंधित अधिकारी, जनप्रतिनिधि कराएंगे। इस अवसर पर पीडी शंकर लाल ने कहा किप्रधान एवं अन्य गांव के संबंधित कर्मचारी भारत निर्माण सेवकों से समन्वय बनाए रखेंगे।

दैनिक जागरण, हरदोई 21 सितम्बर 2012 शुक्रवार

योजनाओं को जन-जन तक पहुचाएंगे भारत निर्माण सेवक

हरदोई, एक प्रतिनिधि : गांधी भवन के सभागार में आयोजित संचेतना कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए संयुक्त निदेशक राज्य ग्राम्य विकास संस्थान लखनऊ डा. ओपी पांडे ने कहा कि भारत निर्माण सेवकों की नियुक्ति की जाएगी। ये गांव-गांव में घर-घर जा कर सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाएंगे।

कार्यशाला में मौजूद ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकत्री और आशा बहुओं को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि भारत निर्माण सेवक गांव के विकास की धुरी होंगे और गांव के विकास और निर्माण कार्यों के अलावा गांव के गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के प्रयास करेंगे।

उन्होंने बताया कि भारत निर्माण सेवकों को सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर लाने, मूर्त रूप देने और आम जनमानस की समस्याओं का निराकरण और सामाजिक स्थितियों को भी सुदृण करने में शासन से समन्वय और सहयोग कायम करना होगा। कार्यशाला में जिला युवा कल्याण अधिकारी राम आसरे सैनी, बीडीओ बावन महेंद्र देव पांडे और जिला प्रशिक्षण अधिकारी डा. संजय कुमार के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

जानसठ, मुजफ्फरनगर

भारत निर्माण सेवक बनेंगे सरकार के आंख-नाक-कान

- ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की योजना
- पहले चरण में चयनित ब्लॉकों में जानसठ शामिल

जानसठ : सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर लाने तथा उन्हें मूर्त रूप देने, आम जनता की समस्याओं का निस्तारण व सामाजिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण समुदाय से भारत निर्माण सेवकों का सहयोग लिया जाएगा।

यह सेवक परामर्शदाता या प्रेरक या फिर सुविधादाता के रूप में अपने आस-पास के परिवारों को निशुल्क सेवा प्रदान करेंगे। जानसठ खंड विकास अधिकारी डॉ. सौरभ राजपूत ने बताया कि सेवकों का चयन संबंधित विकास खंड द्वारा व उन्हें प्रशिक्षण राज्य ग्राम विकास संस्थान द्वारा दिया जाएगा। सेवकों का कार्य जनता में सरकारी कार्यक्रमों और उनसे लाभ लेने संबंधी प्रतिक्रियाओं, कानूनी प्रावधानों आदि के बारे में जागरूक करना होगा। इस योजना से जहां सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आएगी वहीं आम जनता भी आधारभूत सुविधाओं तथा पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधी कार्यक्रमों के तहत अपने अधिकारों एवं दायित्वों के बारे में जान सकेगी। ग्रामीणों की समस्याओं को निस्तारण भी गांव में ही आपसी सहमति के आधार पर करने का प्रयास किया जाएगा। इससे जहां लोगों में नेतृत्व की भावना विकसित होगी वहीं सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वास दूर करने में सहायता मिलेगी।

भारत निर्माण सेवक बनने के लिए कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इसमें कम से कम एक तिहाई महिलाओं होनी चाहिए तथा एससी व ओबीसी वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। सेवकों का कार्यकाल जीवन-पर्यन्त होगा व उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर ग्रेड दिए जाएंगे। ग्रेडस के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय पर्व पर पुरस्कृत किया जाएगा।

9. महत्वपूर्ण पत्र एव शासनादेश

ग्राम सर्ड
Gram : SIRD

दूरभाष Phone : 05212-298292
फैक्स Fax : 05212-298291
ई.पी.बी.एक्स. EPBX : 05212-298209
Website : sirdup.in
E-mail : sirdup@sirdup.in

दी.द.उ. राज्य ग्राम्य विकास संस्थान

बख्शी-का-तालाब, इन्दौरा बाग, लखनऊ-227202

D.D.U. State Institute of Rural Development

Bakshi-Ka-Talab, Indaurabagh, Lucknow-227202

पत्रांक Ref. No. 2609/म.बा.वि./18 (55)/2010-11 दिनांक Date : 29-08-2012

आचार्य / जिला प्रशिक्षण अधिकारी
क्षेत्रीय / जिला ग्राम्य विकास संस्थान
(सम्बन्धित एन.आर.एल.एम. एवं अन्य जनपद)
उत्तर प्रदेश।

विषयः लैब–टू–लैण्ड इनीसिएटिव के अन्तर्गत बी.एन.वी. मोबिलाइजेशन हेतु संस्थान पर प्रस्तावित एक दिवसीय संचेतना कार्यशाला (दिनांक 04 सितम्बर 2012) में भाग लेने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया प्रदेश में बी.एन.वी. मोबिलाइजेशन हेतु ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–एस–73/38–2–2012–07–टी–2011 दिनांक 04 अप्रैल, 2012 का संदर्भ लें। शासनादेश के प्रस्तर–2 के अनुसार एन.आर.एल.एम. जनपदों के साथ– साथ शेष जनपदों के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी भी कार्यक्रम का क्रियान्वयन/विस्तार अपने–अपने जनपद में कर सकेंगे।

2. पाइलेट जनपद चित्रकूट से कार्यक्रम प्रारम्भ होकर वर्तमान में विस्तार 23 जनपदों में किया गया है। कार्यक्रम को अपेक्षित गति प्रदान करने के लिए महानिदेशक स्तसर से कई निर्देशात्मक पत्र आपको भेजे जा चुके हैं। आपको अवगत कराना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दीक्षा वेबसाइट (Diksha website) पर अपलोडेड बी.एन.वी. विवरण के अनुसार मोबिलाइजेशन का कार्य अभी तक 03 जनपदों क्रमशः चित्रकूट (डॉ0 वेद प्रकाश, जिला प्रशिक्षण अधिकारी), इलाहाबाद (डॉ0 ए0 के0 सिंह, जिला प्रशिक्षण अधिकारी) तथा सोनभद्र (श्री डी0एन0 सचान, जिला प्रशिक्षण अधिकारी) में हुआ है। शेष जनपदों की प्रगति पूर्णतः शून्य है।

3. भारत निर्माण सेवकों के मोबिलाइजेशन व आई.ई.सी. गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 04 सितम्बर 2012 को संस्थान पर सम्बन्धित जनपदों के आचार्य/जिला प्रशिक्षण अधिकारियों हेतु एक संचेतना कार्यशाला का आयोजन महानिदेशक के आदेशानुसार किया गया है, जिसमें आपकी सहभागिता अनिवार्य है।

उक्त कार्यशाला के एजेण्डा बिन्दु निम्नवत् हैः–

1. लैब–टू–लैण्ड कार्यक्रम– एक दृष्टि में,
2. भारत निर्माण सेवकों की मोबिलाईलेशन प्रक्रिया,
3. आई.ई.सी. गतिविधियाँ,
4. दीक्षा वेबसाइट एवं ऑन लाइन रिपोर्टिंग सिस्टम,
5. शासन तथा संस्थान स्तर से निर्गत शासनादेश, पत्रों की अनुपालन आख्या तथा
6. अन्य कार्यक्रम सम्बन्धी मुद्दे, आदि

4. अतः कृपया लैब–टू–लैण्ड कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े अधिकारियों के सम्पर्क विवरण तथा कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूप पर लेकर उक्त संचेतना कार्यशाला में प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार.

(डॉ0 ओ0 पी0 पाण्डेय)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य विकास अधिकारी, संबंधित जनपद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश के क्रम में बी0एन0वी0 मोबिलाइजेशन का कार्य कराने का कष्ट करें।
2. वैयक्तिक सहायक (महानिदेशक) को महोदय के अवलोकनार्थ।

(डॉ0 ओ0 पी0 पाण्डेय)
संयुक्त निदेशक

B/Lab to land- Letter

O/C

प्रेषक,

महानिदेशक,
दीन दयाल उपाध्याय
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब, लखनऊ।

सेवा में,

आचार्य/जिला प्रशिक्षण अधिकारी, (नाम से)
क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान।
आगरा, मऊ, फैजाबाद, इटावा, बदायूं, बागपत, बुलन्दशहर, लखावटी–बुलन्दशहर, बख्शी का तालाब, लखनऊ
अलीगढ़, इलाहाबाद, बस्ती, बांदा, बहराइच, बिजनौर, वाराणसी, देवरिया, हरदोई, हमीरपुर, जालौन, लखीमपुरखीरी, मिर्जापुर, मुज्जफरनगर, गोण्डा

पत्रांक 668 /म0बा0वि0/18(55)/2012 दिनांक 05 मार्च, 2013

विषयः– भारत सरकार द्वारा संचालित लैब–टू–लैण्ड योजना के अन्तर्गत जनपद में की गयी आई.ई.सी. एवं बी.एन.वी. मोबिलाइजेशन संबंधी गतिविधियों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने विषयक।

लैब–टू–लैण्ड इनीसिएटिव के अन्तर्गत भारत निर्माण सेवकों के मोबिलाइजेशन के अन्तर्गत आई0ई0सी0 गतिविधियों हेतु अपेक्षित धनराशि आपके संस्थान को विस्तृत निर्देशों के साथ उपलब्ध करायी गयी थी।

2. कार्यक्रम आच्छादित जनपदों में आई0ई0सी0 गतिविधियो से सम्बन्धित विभिन्न मदों पर हुए व्यय की संकलित सूचना एवं रिपोर्ट का प्रेषण संलग्न प्रारूप पर ई–मेल/तत्काल भेजना सुनिश्चित करें, ताकि प्रशासनिक रिपोर्ट एवं उपभोग प्रमाण–पत्र, भारत सरकार को विलम्बतम् 20 मार्च, 2013 तक भेजा जा सके। कार्यक्रम कियान्वयन तथा अपेक्षित सूचना समय से संस्थान को उपलब्ध कराने के लिए आप पदेन/व्यक्तिगत स्तर पर उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

(डॉ0 ओ0पी0 पाण्डेय)
संयुक्त निदेशक

पत्रांक 668 /म0बा0वि0/18(55)/2012 दिनांक 05 मार्च, 2013

प्रतिलिपि– मुख्य विकास अधिकारी सम्बन्धित जनपद को सूचनार्थ।

ई-मेल भी कर दिया गया है।
05/03/13

(डॉ0 ओ0पी0 पाण्डेय)
संयुक्त निदेशक

O/C

पत्रांक 19 म0बा0वि0/18(55)/2010–11
दिनांक 02 जनवरी, 2013

सेवा में,
श्री बी0डी0 चौधरी,
उप निदेशक/प्रभारी कम्प्यूटर,
संस्थान।

विषय : लैब–टू–लैण्ड परियोजना के अन्तर्गत आई0ई0सी0 प्रशिक्षण साहित्य एवं संबंधित लघु फिल्में संस्थान की वेबसाइट तथा "दीक्षा" वेबसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित लैब–टू–लैण्ड इनीसिएटिव् के अर्न्तगत भारत निर्माण सेवकों के चयन एवं मोबिलाइजेशन का कार्य प्रदेश के 22 एन0आर0एल0एम0 जनपदो सहित लखावटी–बुलन्दशहर, बुलन्दशहर, बख्शी का तालाब– लखनऊ एवं पाइलेट जनपद चित्रकूट में प्रमुखता के साथ किया जा रहा है।

उक्त के संदर्भ में भारत निर्माण सेवकों, प्रशिक्षण से जुडें कार्मिकों एवं पंचायत पदाधिकारियों तथा संसाधन व्यक्तियों के उपयोगार्थ संस्थान द्वारा तैयार किये गये आई0ई0सी0 प्रशिक्षण साहित्य को लैब टू लैण्ड प्रशिक्षण कार्यकमों में प्रयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एन0एफ0डी0सी0 नई दिल्ली द्वारा 5 तथा संस्थान द्वारा 2 लघु फिल्में उक्त प्रशिक्षण के प्रयोगार्थ बनायी गयी हैं।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त 7 लघु फिल्में तथा आई0ई0सी0 प्रशिक्षण साहित्य (कुल–10) संस्थान की वेबसाइट तथा भारत सरकार की "दीक्षा" वेबसाइट पर यथाशीघ्र अपलोड कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :– दो सी.डी. में–(विषय–सूची संलग्न)

1. आई0ई0सी0 प्रशिक्षण साहित्य कुल–10
2. एन0एफ0डी0सी0 द्वारा निर्मित 05 लघु फिल्मे एवं संस्थान की 02 फिल्में।

Barun 02/01/13.

O/C

(बरून कुमार आर्य)
संकाय सदस्य

संस्थान द्वारा निर्मित आई.ई.सी. साहित्य का विवरण

1- भारत निर्माण सेवक दिग्दर्शिका (गाइड लाइन)
2- प्रधानमंत्री संदेश (हिन्दी व अंग्रेजी)
3- पंचायतीराज व्यवस्था एवं ग्राम सभा– एक सक्षिप्त परिचय
4- मनरेगा–एक संक्षिप्त परिचय
5- सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता– एक संक्षिप्त परिचय
6- आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम– एक संक्षिप्त परिचय
7- महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु विधिक अधिकार– एक संक्षिप्त परिचय
8- सामाजिक अंकेक्षण– एक संक्षिप्त परिचय
9- मध्यान्ह भोजन योजना– एक संक्षिप्त परिचय
10- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन– एक संक्षिप्त परिचय

एन.एफ.डी.सी. द्वारा निर्मित लैब–टू–लैण्ड विषयक 5 लघु फिल्में

1- दीक्षा
2- ग्राम सभा
3- पुकार
4- रोजगार मेरा अधिकार
5- बढे चलो

संस्थान द्वारा निर्मित दो फिल्में

1- एस.आई.आर.डी. एट ए ग्लान्स
2- भोर

संख्या–ई-343 / 38–2–2011–7टी0 / 2011

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी /
मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 02 अक्टूबर 2012

विषयः– ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित लैब टू लैण्ड इनीसिएटिव के अन्तर्गत भारत निर्माण सेवकों के मोबिलाइजेशन की प्रगति की समीक्षा हेतु राज्य / मण्डल / जिला / विकास खण्ड स्तरीय बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित लैब टू लैण्ड इनीसिएटिव का कियान्वयन प्रदेश के समस्त जनपदों में किया जाना है। इसके संबंध में शासन के पत्रांक संख्या– एस–73 / 38–2–2012–07टी / 2011 दिनांक 04 अप्रैल, 2012 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत निर्माण सेवकों के चयन एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार की वेबसाइट www.rural.nic.in /www.rural diksha.nic.in पर उनका डाटा अपलोड करने का दायित्व विकास खण्ड / जनपद स्तर का है। चयनित भारत निर्माण सेवकों (बी0एन0वी0) के प्रशिक्षण का दायित्व दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बक्शी का तालाब लखनऊ को सौंपा गया है, जो कि अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय / जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के माध्यम से इस कार्य को सम्पादित करेंगे।

2– लैब टू लैण्ड इनीसिएटिव कार्यक्रम का विस्तार प्रदेश के समस्त जिलों में किया जाना है। इस कार्यक्रम को पाइलेट बेसिस पर जनपद चित्रकूट से प्रारम्भ किया गया। प्रथम चरण में प्रश्नगत कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना से सम्बन्धित 22 जनपदों में प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। शेष इच्छुक जनपदों के जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी भी अपने–2 जनपदों में इस कार्यक्रम का कियान्वयन कर सकते है, जिसके लिए वे दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ से सम्पर्क कर आवश्यक जानकारी एवं सहयोग प्राप्त कर सकते है। वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) से सम्बन्धित 22 जनपदों के साथ बुलन्दशहर, गोण्डा, लखनऊ आदि जनपदों में भी भारत निर्माण सेवकों (बी0एन0वी0) का चयन करते हुए उनका डाटा www.rural diksha.nic.in पर अपलोड किया जा रहा है। भारत निर्माण सेवकों (बी0एन0वी0) के चयन एवं डाटा अपलोड करने का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी का है, किन्तु अभी तक अधिकांश खण्ड विकास अधिकारियों की सक्रिय भूमिका दृष्टिगोचर नही हो रही है। विकास खण्ड एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को उक्त संदर्भित शासनादेश के अनुसार अपने–अपने दायित्वों को वहन करते हुए जनपद में इस योजना को गति प्रदान किया जाना है।

K-go-12A

3— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य/मण्डल/जनपद/विकास खण्ड स्तर पर विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठकों में लैब टू लैण्ड विषय को भी एजेण्डा बिन्दुओं में सम्मिलित कर लिया जाय तथा इस योजना के अन्तर्गत भारत निर्माण सेवकों (बी0एन0वी0) के चयन, वेबासाइट पर अपलोडिंग, उनके प्रशिक्षण एवं अनुभव की जा रही समस्याओं और आदर्श कहानियों आदि पर भी विचार-विमर्श कर लिया जाय, जिससे प्राप्त अनुभवों के आधार पर प्रदेश में इस योजना को अपेक्षित गति प्रदान की जा सकें।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या— ९- ३५३ (1)/38-2-2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली।
(2) महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
(3) महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ।
(4) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(6) मिशन डायरेक्टर, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उ0प्र0।
(7) समस्त जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उ0प्र0।
(8) समस्त आचार्य, क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, उ0प्र0।
(9) समस्त जिला प्रशिक्षण अधिकारी, जिला ग्राम्य विकास संस्थान/खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
(10) सम्बन्धित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य/सदस्य सचिव।
(11) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(बी0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

SP ED 923064091 IN

NO. J-11012/40/2010-IEC
Government of India
Ministry of Rural Development
IEC Division

Krishi Bhawan, New Delhi
Date : 4th October, 2012

To

The Secretary (RD & PR)
Government of Uttar Pradesh
Lucknow

17 Oct 2012
4738

Sir/Madam,

I take this opportunity to draw your attention to our communication no. M13015/05/2011-Trg. dated 29th December, 2011 (copy enclosed) wherein SIRDs were advised to utilize the services of NFDC for documentation of the process of Lab-to-Land Initiative and develop collection of success stories for uploading on the rural diksha website of the Ministry. The funds were accordingly allocated to each of the SIRDs in December, 2011. Following this, NFDC had made a presentation in the National Colloquium of SIRDs ETCs in Pune wherein they had detailed the terms of reference for the production and had also assigned producers to each SIRD.

It has now been reported by NFDC that SIRD, Lucknow had produced 10 films through NFDC. The same were previewed and approved by the concerned officers at the SIRD, Lucknow. The total cost involved is Rs.11,30,622/- plus service tax. The total amount is outstanding even after several reminders by NFDC. It is requested that SIRD, Lucknow may be advised to release the payment immediately without any further delay and upload the films on the diksha portal.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Niten Chandra)
Joint Secretary (IEC)
Tel. : 23385484

JD(OP)

Put up from file

19-10-12

Copy to :

1. Director, SIRD, Lucknow
2. Ms. G.G.Kamai, General Manager, NFDC, New Delhi

Add - State Institute of Rural Development
Chandrabhagh Bakshi-ka-Talab
227202

Niten Chandra, IAS
Joint Secretary (Trg.)
Tel: 23385484
Fax: 23388012
Email : niten.chandra@nic.in

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110114
Ministry of Rural Development
Deptt. of Rural Development
Government of India
Krishi Bhavan, New Delhi-110114
Dated : 29th December, 2011

No.M-13015/05/2011-Trg.

To

Principal Secretary/Secretary (Rural Development/Panchayati Raj)
Heads of SIRD

Sir/Madam,

Please refer to the letter dated 22nd November, 2011 of the Secretary, Department of Rural Development, Government of India to the Chief Secretary regarding the scaling up of the Lab-to-Land Initiative to cover all Gram Panchayats.

2. As you are aware, the Initiative aims to reinforce bonds between Government and people, promote people's participation in decision making at the grassroots, enhance transparency and accountability by facilitating the Gram Sabhas to undertake planning, monitoring and audit of Government Programmes. For scaling up the Initiative, funds have also been released to you under IEC. These funds may be utilized to depute resource persons (who may be outstanding BNVs, retired government servants and others) to the select villages/Gram Panchayats and Blocks to assist the Blocks and the Gram Panchayats in the selection of the BNVs.

3. During the village visits select films may be screened to educate the villagers about their rights and entitlements, roles and responsibilities of the beneficiaries, elected representatives, BNVs, Gram Sabhas and Government functionaries, and procedure to avail services under various programmes. Application forms for registration as BNVs may be duly filled up and photographs collected from interested persons.

4. Sectoral Committees comprising BNVs, SHG members, elected representatives and others may be constituted in accordance with the provisions of different programmes to ensure formulation of proper plans under the programmes. Officials of Line Departments and Banks may be sensitized about the role of BNVs as their eyes and ears and in activating the Gram Sabhas and the Sectoral Committees to promote people's participation in the implementation of their programmes. A Guide Book comprising the roles of BNVs under various Line Departments and contact details of officials may be printed and distributed to BNVs in the model of Bhilwara District of Rajasthan.

5. Several cases of Sarpanches and Ward Members showing interest in becoming BNVs have been observed. Enrolling elected members as BNVs may be a useful method of harmonizing the interest of the Gram Panchayat and the Gram Sabha, wherever the elected representatives wish to join the movement.

Contd...2

6. Honourable Prime Minister and the Ministry of Rural Development have given messages to BNVs. Copy of these messages should also be made available to the new BNVs in order to acquaint them of their special status in the village community. In order to improve contact among stakeholders please make wide usage of the free SMS feature under ruraldiksha.nic.in.

7. Film producers from NFDC, Delhi have been assigned to you. Their services may be utilized to document the process of Lab to Land Initiative at DAVP rates and develop a collection of success stories for uploading on ruraldiksha website of the Ministry.

8. You may also consider instituting awards for BNVs, official functionaries and elected Panchayati Raj representatives, bankers who achieve outstanding performance levels in promoting participation of people, enhancement of transparency and accountability in implementation of flagship programmes and strengthening of Gram Panchayats through the BNV movement.

9. In order to objectively measure the outputs of your endeavor, please ensure that the profiles of the BNVs along with their photographs, details of the Performance Metric are properly entered and the SMS feature is used.

With warm regards,

Yours sincerely,

N. Chandra

(Niten Chandra)

Speed Post No. ED 907466326 IN

No.J-11012/5/2012-IEC(Pt.I)
Government of India
Ministry of Rural Development
IEC Division
***

29 MAY 2012
2375

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated the 14th May, 2012

To Smt. Veena Upadhyaya, IAS
Director General
Uttar Pradesh

Subject:- Engagement of resource persons/professionals for IEC activities by SIRDs.

JD(OPD)

Sir/Madam,

I am directed to inform that during 2011-12 funds were released to SIRDs for undertaking grassroots level IEC and community mobilization activities. As part of the activities, SIRDs were required to engage resources persons/professionals to help them carry out the IEC activities indicated in the letter of Joint Secretary (IEC) dated 22nd November 2011. It has now been decided that the process for engagement may be initiated immediately by the SIRDs so as to complete the same by the end of the first quarter. The number of resource persons to be engaged, remuneration and other terms of engagement etc. may be decided as per the requirement and extant norms. Wherever possible, possibility of engaging BNVs as resource personnel may be considered.

DG

Similarly, SIRDs are also required to create Programme Management Units (PMUs) in select districts and blocks for facilitating grassroots level mobilization of BNVs and creation of local IEC contents. Steps taken in this direction may also be kindly intimated.

Yours faithfully,

(A.Majumdar) 14/5/12
Deputy Director (Media)

V. Imp.
RA(RS)
20.5.12

भारत निर्माण सेवकों के लिए फार्म

कलर
फोटोग्राफ

सेवक पहचान संख्या

कृपया साफ अक्षरों में भरें

1. पूरा नाम (श्री/श्रीमती/कुमारी) .....

2. पिता/पति का नाम .....

3. जन्म तिथि .....

4. राष्ट्रीयता .....

5. शैक्षिक योग्यता .....

6. आवासीय पता .....

लैंड मार्क (वार्ड सं0) .....

गांव ..... ब्लॉक ..... जिला .....

पिन कोड ..... राज्य .....

7. फोन नं0 ..... मोबाइल नम्बर .....

8. एसटीडी कोड .....

9. ई–मेल पता, यदि कोई हो .....

10. पहचान के ब्यौरे .....

11. कवर किये जाने वाले परिवारों की संख्या--

अनु0 जाति ..... अनु0 जनजाति .....

अन्य पिछड़े वर्ग ..... अल्पसंख्यक .....

12. कार्यक्रम का नाम जिसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है (कार्यक्रम का नाम बताएं) .....

.....

13. दिया गया प्रशिक्षण

दिनांक ..... विषय ..... स्थान .....

(संलग्न करें–हाईस्कूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति/मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति)

सेवक के हस्ताक्षर

(नाम.....)

SP ED 899179370 IN

Immediate

No.J-11012/40/2010-IEC
Government of India
Ministry of Rural Development

Krishi Bhavan, New Delhi -110001
Dated : 23rd March, 2012

To

All States Secretaries of Rural Development
All Heads of SIRDs

30/ 2012
1840

Sir/Madam

Please find enclosed a brief note on the actions taken by SIRD, Tamil Nadu for the scaling up of Lab to Land Initiative and mobilization of BNVs in new Districts and Blocks. They have been able to adopt the strategy successfully by using the funds provided under IEC by the Ministry of Rural Development. You may consider adopting an appropriate strategy for scaling up of Lab to Land Initiative and utilization of the IEC funds at the earliest.

JD(OPP)

With regards,

Yours sincerely,

(Niten Chandra)
Joint Secretary to Government of India
Tel:23385484
Fax: 23388012

Encl: as above

3-5-12

ED - 6179655131M

No. :J-11012/45/2010-IEC (Pt.)
Government of India
Ministry of Rural Development

Date : 10.2.2012

Krishi Bhawan, New Delhi.

16 FEB 2012
892

To

All SIRDs

Subject : Production of short training films/documentaries etc.

Sir/Madam

I am directed to draw attention to our communication of even no. dated 28th December, 2011 as well as communication of JS (IEC) bearing no. M-13015/05/2011-TRG. Dated 29th December, 2011 on the subject. Reference is also drawn to the discussions held with SIRDs by the General Manager of NFDC in the national colloquium in Pune on 17th January, 2012.

We are in receipt of a communication from NFDC wherein certain issues have been brought notice to this Ministry for clarification. It has been indicated that some SIRDs have informed NFDC that they will not be requiring any films. Some SIRDs have indicated difficulties in placing funds in advance for the production as required by the NFDC. In this connection, the following clarifications may please be noted :-

JD (OPP)

(1) The decision to assist the SIRDs in production of films to be used for mobilization of BNVs has been taken as per the deliberations held in different colloquiums in the last 8 months. This was done, as SIRDs had indicated that they do not have wherewithal for producing films locally.

(2) NFDC was accordingly taken on board by the Ministry to undertake the film productions in coordination with the SIRDs.

(3) The production of films as indicated in the communication of JS (IEC) dated 29th December, 2011 under reference is part of the scaling up/mobilization of BNVs.

(4) As regards the issue of providing cent percent advance to NFDC as indicated in the letter of NFDC to SIRDs, the matter has been discussed with the NFDC. It has been decided that in case any SIRD has any procedural problem in releasing cent percent advance, they may follow the following procedure :-

(a) 40 % at the time of finalization of location/script
(b) 40 % on receipt of the complete film
(c) 20 % at the time of final approval.

JM 16/02
DS
IEC
PM (A)
21-02-12

(5) As regards the number of films to be produced, the number indicated in the communication of MoRD/NFDC are of indicative nature, SIRDs have the flexibility to take a decision as per their requirement and availability of funds.
(6) The first installment for grassroot level IEC activities by SIRDs have already been released to the SIRDs. This fund is required to be used for scaling up of BNVs including of production of films through NFDC as indicated in the accompanying letter of the JS (IEC). Further fund shall be released on receipt of UC from the SIRDs.
(7) Identify one nodal officer for smooth coordination and timely completion of the project.
(8) As indicated earlier the cost of production shall be as per DAVP rate as indicated by NFDC in their invoice. The DAVP rate card is uploaded on the ruraldiksha website.

Yours faithfully,

(A.Majumdar)
Deputy Director (Media)
Tel. : 23097054

Copy to :

General Manager, NFDC with reference to their letter dated 23rd January and 27th January, 2012 on the subject.

ED 617965513 IN

No. J-11012/45/2010-IEC (Pt.)
Government of India
Ministry of Rural Development

Date : 8.2.2012

Krishi Bhawan, New Delhi.

16 FEB 2012

891

To

All SIRDs

Subject : Release of fund for grassroots level IEC : utilization thereof.

Sir/Madam

I am directed to draw kind attention to communication of JS (IEC) bearing no. M-13015/05/2011-TRG. dated 29th December, 2011 indicating release of funds to the SIRDs under IEC for undertaking scaling up of BNVs. Most of the SIRDs have already indicated receipt of funds. As indicated in the letter under reference, the SIRDs are required to undertake such activities out of this funding which would result in scaling up of BNVs and achieving the targets set for them by end of March, 2012. This Ministry has separately also indicated that production of films through producers assigned by NFDC may also be met out of this fund. SIRDs are required to post the details of expenditure incurred periodically (every fortnight) on the diksha website. A format for the same is being uploaded on the diksha website. As indicated in our communication dated 29th December, 2011, SIRDs are also required to upload the photographs and personal details of the BNVs enrolled. The 10 point performance matrix is also required to be filled in to enable the Ministry to evaluate the performance. The SIRDs are also required to provide utilization certificate for the funds released to them under IEC to enable this Ministry to reconcile the same and also consider the release of subsequent installments. Data Entry Operators may also be hired as per requirement for posting the details on the website as indicated above. In case of any problem in posting the expenditure detail, Sh. Ajay More, Consultant (NIC) may be contacted on 8800938940 or 23381312.

This issues with the approval of Joint Secretary (IEC).

Thanking you.

Yours faithfully,

(A.Majumdar)
Deputy Director (Media)

J.D. (OPP)

DS 16/02

IEC

FM(Br)

21-02-12

Niten Chandra, IAS
Joint Secretary (Trg.)
Tel: 23385484
Fax: 23388012
Email : niten.chandra@nic.in

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110114
Ministry of Rural Development
Deptt. of Rural Development
Government of India
Krishi Bhavan, New Delhi-110114

No.M-13015/05/2011-Trg.

Dated : 29th December, 2011

To

Principal Secretary/Secretary (Rural Development/Panchayati Raj)
Heads of SIRD

Sir/Madam,

Please refer to the letter dated 22nd November, 2011 of the Secretary, Department of Rural Development, Government of India to the Chief Secretary regarding the scaling up of the Lab-to-Land Initiative to cover all Gram Panchayats.

2. As you are aware, the Initiative aims to reinforce bonds between Government and people, promote people's participation in decision making at the grassroots, enhance transparency and accountability by facilitating the Gram Sabhas to undertake planning, monitoring and audit of Government Programmes. For scaling up the Initiative, funds have also been released to you under IEC. These funds may be utilized to depute resource persons (who may be outstanding BNVs, retired government servants and others) to the select villages/Gram Panchayats and Blocks to assist the Blocks and the Gram Panchayats in the selection of the BNVs.

3. During the village visits select films may be screened to educate the villagers about their rights and entitlements, roles and responsibilities of the beneficiaries, elected representatives, BNVs, Gram Sabhas and Government functionaries, and procedure to avail services under various programmes. Application forms for registration as BNVs may be duly filled up and photographs collected from interested persons.

4. Sectoral Committees comprising BNVs, SHG members, elected representatives and others may be constituted in accordance with the provisions of different programmes to ensure formulation of proper plans under the programmes. Officials of Line Departments and Banks may be sensitized about the role of BNVs as their eyes and ears and in activating the Gram Sabhas and the Sectoral Committees to promote people's participation in the implementation of their programmes. A Guide Book comprising the roles of BNVs under various Line Departments and contact details of officials may be printed and distributed to BNVs in the model of Bhilwara District of Rajasthan.

5. Several cases of Sarpanches and Ward Members showing interest in becoming BNVs have been observed. Enrolling elected members as BNVs may be a useful method of harmonizing the interest of the Gram Panchayat and the Gram Sabha, wherever the elected representatives wish to join the movement.

Contd...2

6. Honourable Prime Minister and the Ministry of Rural Development have given messages to BNVs. Copy of these messages should also be made available to the new BNVs in order to acquaint them of their special status in the village community. In order to improve contact among stakeholders please make wide usage of the free SMS feature under ruraldiksha.nic.in.

7. Film producers from NFDC, Delhi have been assigned to you. Their services may be utilized to document the process of Lab to Land Initiative at DAVP rates and develop a collection of success stories for uploading on ruraldiksha website of the Ministry.

8. You may also consider instituting awards for BNVs, official functionaries and elected Panchayati Raj representatives, bankers who achieve outstanding performance levels in promoting participation of people, enhancement of transparency and accountability in implementation of flagship programmes and strengthening of Gram Panchayats through the BNV movement.

9. In order to objectively measure the outputs of your endeavor, please ensure that the profiles of the BNVs along with their photographs, details of the Performance Metric are properly entered and the SMS feature is used.

With warm regards,

Yours sincerely,

N. Chandra

(Niten Chandra)

No.J-11012/40/2010-IEC
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
IEC Division
***

Krishi Bhavan, New Delhi,
Dated the 28th December, 2011

To

The Director,

Subject:- Grassroots level IEC activities and Community mobilization through Bharat Nirman Volunteers (BNVs) in Lab to Land blocks and IAP Districts.

Sir/Madam,

I am directed to inform that based on the deliberations and recommendations of the various National Colloquia a decision has been taken to strengthen the grassroots level IEC activities and community mobilization activities in respect of various programmes of this Ministry and other government ministries/departments. Accordingly, I am forwarding herewith a sanction No.J-11012/40/2010-IEC dated 26th December, 2011 for undertaking grassroots level IEC activities and Community mobilization through Bharat Nirman Volunteers (BNVs) in Lab to Land blocks and IAP Districts.

The activities may be taken up at State, District, Block, Gram Panchayat and Village level which may inter alia may broadly include the following:-

1. Creation of a resource base at SIRD to:

   i) Assess requirement of IEC for rural communities;
   ii) Develop and distribute IEC print materials in local idiom and according to local requirements for use upto panchayat level;
   iii) Produce IEC AV material with local content and in local languages;
   iv) Undertake state level outdoor IEC activities outside revenue villages or not covered by GPs;
   v) Scaling up the organization of the cadre of BNVs; and
   vi) Data entry on BNVs, performance metric and use of SMS feature on rural DIKSHA (http://ruraldiksha.nic.in.)

2. Need based IEC and community mobilization activities like screening of films in Panchayat Bhawans/Community centers/Schools; Distribution of Leaflets, Posters, FAQs, Pamphlets, Brochures etc.; Organizing of village meetings, soochna, sampark melas, quiz etc.; messages through wall painting; erection of atleast one hoarding per GP/village and observation of rural development week may also be undertaken at District, Block, Gram Panchayat and Village levels.

Expenditure on resource persons, incidental expenditures relating/supporting to mobilization activities as per requirement may also be borne out of the fund allocated.

In addition to the above, the SIRD are required to fill in the Performance Metric Report, photographs, other entries including household details in rural DIKSHA (http://ruraldiksha.nic.in) and utilize the SMS feature provided in the website.

Yours faithfully,

(A.Majumdar)
Deputy Director (Media)

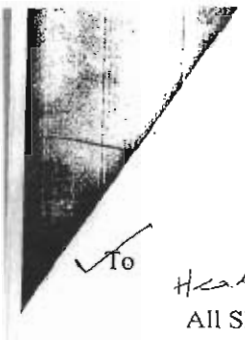

No. :11012/45/2010-IEC (Pt.)
Government of India
Ministry of Rural Development

Date : 28.12.2011
Krishi Bhawan, New Delhi.

To
Head
All SIRDs

Subject: Production of short training films/documentaries etc.

Sir/Madam

This is to draw your kind attention to the discussions held in the various colloquiums on Lab-to-Land and BNV initiatives on the subject rested above. As you are aware, Ministry of Rural Development has engaged NFDC to undertake production of short training films, documentaries on best practices and inspirational stories regarding various schemes of the Ministry and mobilisation of BNVs. Films based on some states have been produced centrally by the IEC Division of the Ministry and shared with the SIRDs already. However, it is felt that to fast- track the production of the films and generate local contents, it would be appropriate that dedicated producers are assigned particular states and are advised to produce the films in coordination with the SIRDs directly. SIRDs are to guide the producers assigned to them in respect of themes, identification of stories, locations etc. As per the decision taken by the Ministry, a total of 300 films are to be produced by March, 2012. Each SIRD has been assigned particular number of films which are indicated against each of the SIRDs in the table enclosed. However, SIRDs can as per requirement and availability produce more films than indicated against them. The expenditure on this may be borne out of the funds provided to SIRDs by the Ministry for IEC activities during the current financial year. The production should be undertaken as per the DAVP rate card and payment be made to NFDC directly by the SIRDs. The films produced by the SIRDs have to be uploaded on the ruraldiksha.nic.in immediately upon completion of the production.

This issues with the approval of JS (IEC).

Yours faithfully,

(A.Majumdar) 28/12/11
Deputy Director (Media)
Tel. : 23097054

Enclosed : as above

Copy to:

1. General Manager NFDC , New Delhi
2. Sh. Rampal Singh Balhara Dy. Manager NFDC

No.J-11012/40/2010-IEC
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
IEC Division

Krishi Bhavan, New Delhi,
Dated the 26th December, 2011

To

The Pay & Accounts Officer,
Ministry of Rural Development,
Krishi Bhavan, New Delhi

Subject: : Release of grant for Non-recurring expenditure to DDU State Institute of Rural Development, Lucknow, Uttar Pradesh for undertaking grassroots level IEC activities and mobilization through BNVs in Lab-to-Land blocks.

Sir,

I am directed to convey the sanction of the President of India to the incurring of an expenditure of Rs.60,00,000/- (Rupees Sixty lakhs only) as Central grant for grassroots level IEC activities and community mobilization upto Gram Panchayati level to DDU State Institute of Rural Development, Lucknow, Uttar Pradesh.

2. I am further directed to convey the sanction of the President to the advance payment of Rs.60,00,000/- (Rupees Sixty lakhs only) as Central grant for non-recurring expenditure to DDU State Institute of Rural Development, Lucknow, Uttar Pradesh.

3. The sanction and release of funds is subject to the following conditions:-

1. The Institute will execute the grassroots level IEC activities and community mobilization upto Gram Panchayat level in accordance with the instructions issued by this Ministry from time to time.
2. The grant should be utilized by March, 2012. Any funds remaining unutilized shall be adjusted against the future release for the activities.
3. The account of the grantee institutions shall be opened to inspection by the sanctioning authority/Audit whenever the institution is called upon to do so.
4. The institution receiving the grant would irrespective of the amount involved be required to maintain subsidiary accounts of the Government Grant.
5. A certificate of actual utilization of grants for which it was received, should be submitted within time prescribed in para (iv) above by the institution concerned who would also submit the detailed statement of expenditure of accounts in respect of the grant released by the Ministry.

The expenditure is debitable to the following Head of Accounts under Demand No.82 Department of Rural Development (2011-12).

2515-Other Rural Development Programmes (Major Head)
00.800-Other Expenditure (Minor Head)
25-Management Support to Rural Development Programmes and Strengthening District Planning Process
25.01-Programme Components
25.01.50-Other Charges

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110 114
Ministry of Rural Development
Deptt. of Rural Development
Government of India
Krishi Bhavan, New Delhi - 110 114

Niten Chandra, IAS
Joint Secretary (Admn&Trg)
Tel. No. 23385484
Fax No. 23388012

10 JAN 2012 ... 156

D.O. No M-12017/1/2010-Trg

Dated 21st December, 2011

To

All State Secretaries (Rural Development)
Directors (SIRD)

Please find enclosed message from the Honourable Prime Minister for the Bharat Nirman Volunteers (BNVs) for effective implementation of the flagship programmes of the Government. Bharat Nirman Volunteers have to spread awareness about the programmes in rural India and improve access to public services and out-reach of Government programmes. They will ensure greater transparency and accountability in the implementation of Government programmes. They will also facilitate social audit of Government programmes and expedite redressal of public grievances.

JD(PP)

2. Ministry is providing support to the State Governments for undertaking training of the Bharat Nirman Volunteers through the State Institute of Rural Development. We have also indicated the tentative numbers of Bharat Nirman Volunteers which may be identified and trained in the State (List enclosed).

3. You are requested to kindly ensure that the appropriate steps are taken to achieve the goal of people's participation, transparency and accountability in the implementation of rural development programmes through Bharat Nirman Volunteers.

DS 11/01
photocopy IEC File में लगी है।
13.2.12

Yours sincerely,

N. Chandra

(Niten Chandra)

Encl: As above

Targets proposed for mobilization of BNVs by March 2012

S.No	Name of the State	Tentative no. of BNVs
1	Andhra Pradesh .	10000
2	Arunachal Pradesh.	500
3	Assam.	5000
4	Bihar.	10000
5	Chattisgarh.	6000
6	Goa	100
7	Gujarat.	5000
8	Haryana	1000
9	Himachal Pradesh	1000
10	Jammu & Kashmir	5000
11	Jharkhand	10000
12	Karnataka	10000
13	Kerala	5000
14	Madhya Pradesh	10000
15	Maharashtra	10000
16	Manipur	5000
17	Meghalaya	500
18	Mizoram	500
19	Nagaland	500
20	Orissa	10000
21	Punjab	1000
22	Rajasthan	10000
23	Sikkim	500
24	Tamilnadu	10000
25	Tripura	500
26	Uttarakhand	2500
27	Uttar Pradesh	25000
28	West Bengal	10000
	Total	**164600**

ED46032817 9JN.

14991

No. J-13013/04/2005-IEC (Pt)
Government of India
Ministry of Rural Development

Krishi Bhawan,
New Delhi 110114
Dated- September 2010

To,

The Director,
State Institute of Rural Development (SIRD)
Lucknow - 227202
Uttar pradesh

Subject: - Grass-root level IEC Activities through SIRDs.

Sir,

As you are aware, this Ministry has taken initiative in broad-basing the dissemination of information on various schemes and programmes of Ministries of Rural Development and Panchayati Raj to enhance programme literacy among the target beneficiaries.

In a meeting with SIRDs, held on 23rd September 2010 at NASC Complex, PUSA SIRDs were requested to supplement the IEC activities by undertaking dissemination through use of new media such as bus back panels, bus tickets, rural cinema, wall newspapers, wall paintings and community radios. Further it was also felt that SIRDs may also be entrusted with the responsibilities of printing of Grameen Bharat Newsletter in respective state languages and its distribution to blocks and GPs through the District Administration. The SIRDs would be at liberty to add one page of local content to the newsletter.

SIRDs are requested to submit proposals with estimated fund requirement for above activities at the earliest for consideration by this ministry.

DG

JD

ST(G)

Yours Faithfully

(Uday Moray)
Director (IEC)

18.10.10

4867

Niten Chandra, IAS
Joint Secretary (IEC)
Tel. No. 23385484

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
Ministry of Rural Development
Deptt. of Rural Development
Government of India
Krishi Bhawan, New Delhi - 110 001

D.O.No. J-11012/34/2010-IEC

September 21, 2010

Dear Sir,

During the workshop held on 22-23rd July'10 for Developing Collaborative Strategy for IEC and Training activities in the Ministry of Rural Development along with Ministry of Information & Broadcasting the matter of using Doordarshan as a medium of training in the pattern of countrywide class room being held by Doordarshan for telecast of school educational programme was discussed. It was recommended that the training films of Rural Development which need to be viewed by lakhs of elected Panchayati Raj representatives and rural development functionaries in the rural areas of the country can also be telecast by Doordarshan in the similar pattern.

The Ministry of Rural Development has State Institute of Rural Development (SIRD) in the States which provide training. The Regional Doordarshan Kendras can telecast the training films in local language using the SIRD's resources of the State. I would be grateful, if you could advise the Regional Doordarshan Kendras to provide necessary assistance to the SIRDs for telecast of training programmes offering convenient time slot for viewing by the rural development functionaries and elected Panchayati Raj representatives.

With regards,

Yours sincerely,

N Chandra

(Niten Chandra)

Shri B.S. Lalli
CEO
Prasar Bharati
New Delhi

Copy to: All State Secretaries/SIRDs